ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 56 अंक : 6 अप्रैल 2010 मूल्य : 10 रुपये

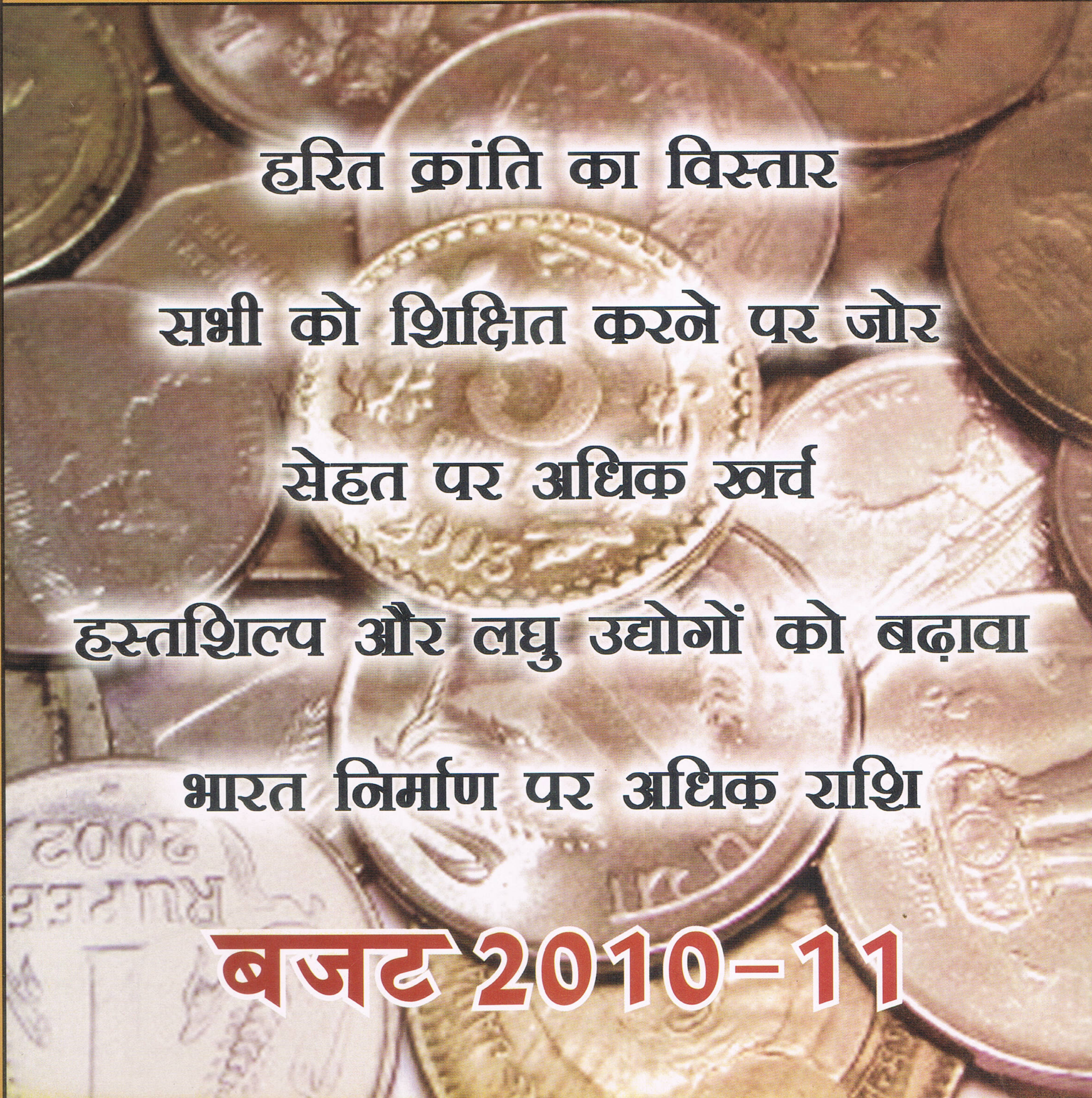

हरित क्रांति का विस्तार

सभी को शिक्षित करने पर जोर

सेहत पर अधिक खर्च

हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा

भारत निर्माण पर अधिक राशि

बजट 2010-11

आम बजट 2010-11 की मुख्य विशेषताएं

- फसल कार्यों के लिए 13,805.82 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 40,100 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण आवासों के लिए आयोजनाओं हेतु 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सामान्य सेवाओं के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- लदान-पूर्व निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव।
- आम बजट में पर्यावरण के लिए अनेक उपाय।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोक स्वामित्व के आधार का विस्तार।
- अप्रैल-दिसम्बर 2009 के दौरान 20.9 अरब अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
- उर्वरक क्षेत्र के लिए पोषण आधारित सब्सिडी नीति पहली अप्रैल, 2010 से प्रभावी।
- वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए शीर्षस्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव।
- विद्युत क्षेत्र में क्षमतावर्द्धन को उच्च प्राथमिकता, आयोजना आवंटन दुगुने से अधिक बढ़ाकर 5130 करोड़ रुपये किया गया।
- आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1,73,552 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आम बजट में कृषि क्षेत्र के समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आयोजना परिव्यय बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपये किया गया।
- महिला और बाल विकास के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- बिजली की कारों और वाहनों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट।
- चिकित्सा उपस्करों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट।
- राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत तक सीमित।
- भारतीय रुपये को चुनिंदा मुद्रा क्लब में शामिल करना।
- कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर राहत।
- आंतरिक अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय पर भारित कटौती 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत की गई।
- पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 1-1 रुपये की बढ़ोतरी।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में कटौती आंशिक रूप से वापस ली जाएगी।
- भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण को 1900 करोड़ रुपये का आवंटन।
- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना की जाएगी।
- रक्षा के लिए आबंटन सीमा बढ़ाकर 1,47,344 करोड़ रुपये की गई।
- आयकरदाताओं के वर्तमान स्लेबों में राहत।
- समावेशी विकास पर जोर।
- सोना-चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ा।

(पसूका के सौजन्य से)

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक : 6 ★ पृष्ठ : 48 ★ चैत्र–वैशाख 1932 ★ अप्रैल 2010

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

दूर दृष्टिपरक है इस साल का बजट — कुसुमलता सिंह — 3

ग्रामीण भारत के चतुर्विध विकास की पहल — डॉ. जगबीर कौशिक — 6

किसान हितैषी बजट — वेद प्रकाश अरोड़ा — 11

विकास को गति देता बजट — प्रांजल धर — 16

रेलवे में बढ़े रोजगार के अवसर — संगीता यादव — 20

बजट पर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया — साधना यादव — 28

झींगा पालन की आधुनिक तकनीक — डॉ. जितेन्द्र सिंह — 34

गन्ने की वैज्ञानिक खेती — जगपाल सिंह मलिक — 37

गुणों की खान है नमक — डॉ. डी.डी. ओझा — 43

गोभी की फसल में नवाचार करता किसान — ओम मिश्रा — 46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट एक राजकोषीय उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार की दशा और दिशा इंगित होती है। कहा जाता है कि आदर्श बजट वही है जिसमें खर्च कम से कम हो और आय अधिक से अधिक। इस बार पेश किए गए आम बजट में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां मध्य वर्ग को टैक्स रियायतें देने के कारण बजट लाभकारी बना है वहीं बैंकिंग समेत बुनियादी क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के कारण उद्योग जगत ने भी बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा की है।

केंद्र सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि गांवों का समुचित विकास हो। यही वजह है कि इस बार के बजट में भी ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सरकार ने न सिर्फ किसानों के लिए उपकरण सस्ते कर उन्हें राहत देने की कोशिश की बल्कि अन्य योजनाओं में भी कृषि की भागीदारी बढ़ाई है। मौजूदा बजट में घोषित हर योजना किसी न किसी रूप में ग्रामीण भारत को मजबूत बनाती नजर आ रही है। बजट में कुल खर्च का 37 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र को और 25 प्रतिशत ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है।

बजट में हरितक्रांति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 60 हजार दलहन–तेल ग्राम बनाने की तैयारी है। कर्ज के मामले में भी वित्तमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया है। पिछले वर्ष जहां एकमुश्त ऋण माफी की योजना दी थी वहीं इस बार किसानों के लिए कर्ज चुकाने की अवधि को छह महीने बढ़ाकर जून 2010 तक कर दिया गया है। साथ ही, समय पर ब्याज चुकाने वालों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं किसानों को सीधे सब्सिडी देने की भी तैयारी है। सरकार किसानों को खाद पर भी राहत देने के प्रयास में जुटी है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग के लिए पांच मेगा फूड पार्क बनाने की भी बात कही। इससे निश्चित रूप से किसानों की माली हालत में सुधार आएगा। साथ ही कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा।

बजट 2010–11 में प्रतिदिन 20 किमी. सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सड़कों के लिए 13 प्रतिशत अधिक धनराशि आवंटित की गई है। इसी तरह बिजली क्षेत्र के लिए आयोजन आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2230 करोड़ रुपये की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा बढ़ाया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए यह राशि 5130 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत निर्माण योजना के तहत चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए अलग से राशि आवंटित की गई है। जहां सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया गया है वहीं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोयले पर 50 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है।

इस बार के बजट में परिवार कल्याण मंत्रालय को गत वर्ष की अपेक्षा 2766 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह भी मानना है कि जब तक देश में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता है इसीलिए बजट में स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित राशि में भी 3236 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

संक्षेप में अगर कहा जाए तो इस बार का बजट आशंकाओं से हटकर सभी के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। जहां कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में भरपूर इंतजाम किया गया है वहीं कुछ न कुछ सभी क्षेत्रों को मिला है। महंगाई को कम करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का मसौदा भी तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि आम आदमी खासकर गरीब को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मिल सके ।

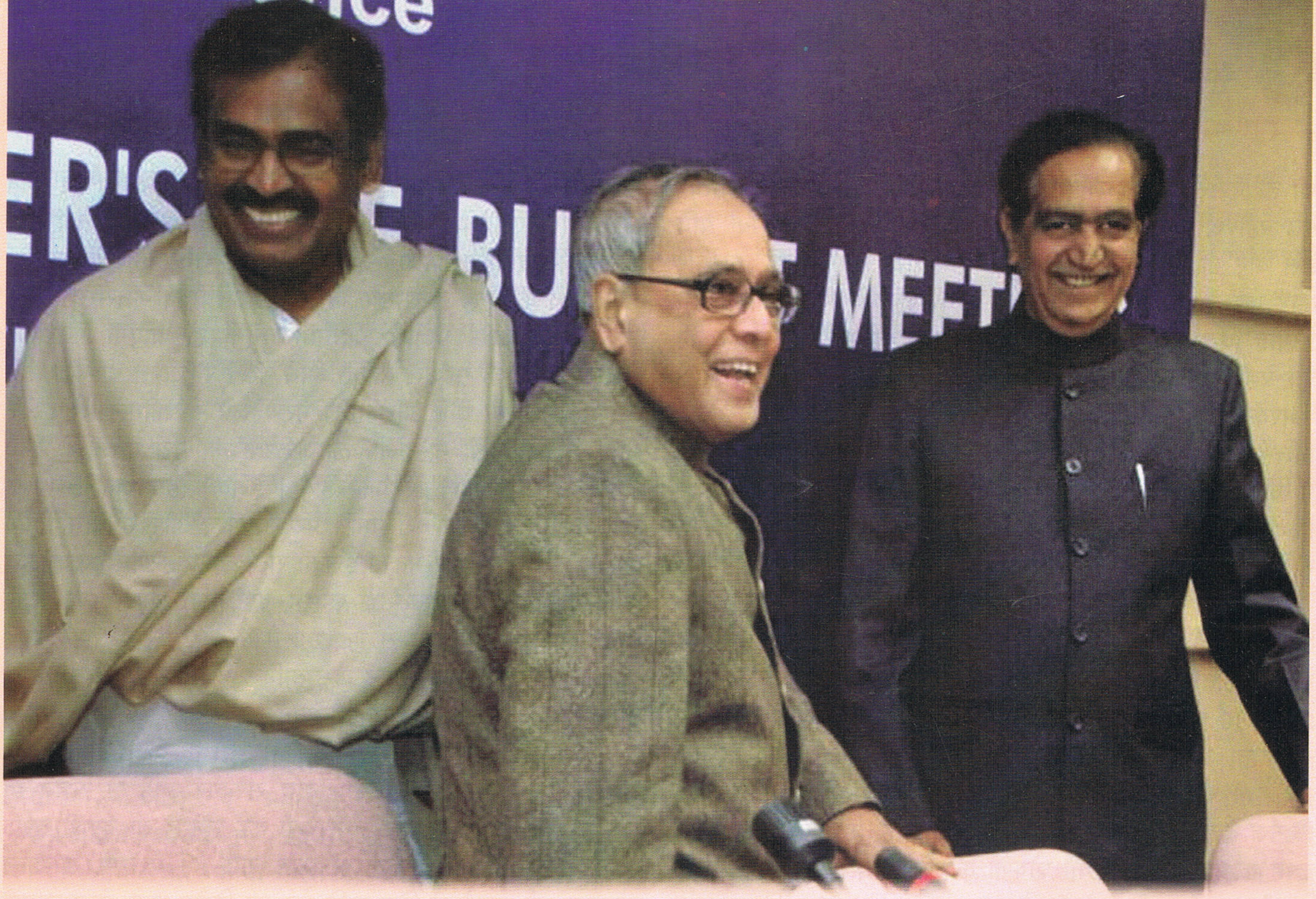

दूर दृष्टिपरक है इस साल का बजट

कुसुमलता सिंह

कहा जाता है कि आदर्श बजट वही है, जिसमें खर्च कम से कम हो और आय अधिक से अधिक। वित्तमंत्री की ओर से पेश आम बजट में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बजट टैक्स रियायतों के कारण मध्य वर्ग के लिए लाभकारी बना है वहीं बैंकिंग समेत बुनियादी क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के कारण उद्योग जगत से प्रशंसा पाता है। बजट पेश होते ही सेंसेक्स ने तेजी से छलांग लगाकर साबित कर दिया कि हमारे देश का बजट आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल है।

भारत की करीब 70 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में रहती है। केंद्र सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि गांवों का समुचित विकास हो। यही वजह है कि इस बार के बजट में ग्रामीण विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सरकार ने न सिर्फ किसानों के लिए उपकरण सस्ते कर उन्हें राहत देने की कोशिश की बल्कि अन्य परियोजनाओं में भी कृषि की भागीदारी बढ़ाई है। मौजूदा बजट में घोषित हर योजना किसी न किसी रूप में ग्रामीण भारत को ताकत देती नजर आ रही है। आवास निर्माण की बात हो या सड़कों की अथवा अन्य उद्योगों की स्थापना की, हर योजना प्रत्यक्ष न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण भारत को विकसित करती नजर आ रही है। स्थिति स्पष्ट है कि केंद्र सरकार गांवों को भी शहर जैसी सुविधाएं देना चाहती है। चूंकि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का पूर्ण विकास नहीं होगा, सरकार ने भी इसी सिद्धांत को अपनाते हुए बजट पेश किया है। वित्तमंत्री ने कहा है कि तीन लाख 73 हजार करोड़ रुपये के बजट में 37 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं जबकि 25 प्रतिशत ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए हैं।

बजट पेश होने से पहले कृषि को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। कृषि क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है। क्योंकि अभी तक एक ओर बजट में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घट रही

थी तो दूसरी ओर दालों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि इस बार भी कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया तो महंगाई की मार और पड़ सकती है। हालात के मद्देनजर कृषि विशेषज्ञों की भी निगाह वित्तमंत्री पर टिकी थी। चूंकि यह भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि उर्वरकों के अनुदान पर दी जाने वाली भारी–भरकम राशि के बाद सिंचाई जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए वित्तमंत्री के पास कुछ ज्यादा नहीं बच पाएगा। लेकिन वित्तमंत्री ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट में भरपूर इंतजाम किया। इससे मौसम की दया पर निर्भर रहने वाली 60 प्रतिशत खेती अब लाभकारी बन सकती है।

गत वर्ष एक तरफ मौसम ने दगा दिया था तो दूसरी तरफ आर्थिक मंदी। ऐसी ही स्थिति में चुनाव भी हुआ। सरकार ने पूर्व में एक अंतरिम बजट और सरकार के गठन के बाद जुलाई में 2009–10 का बजट प्रस्तुत किया था। वैश्विक मंदी ने पूरे विश्व में अपना असर दिखाया। सरकार को यह चिंता थी कि वैश्विक मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, जिनसे देश का विकास बाधित हो सकता है। इस कारण विभिन्न तरह के राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी। इस बार स्थितियां काफी अनुकूल थी। लोगों को यह भय सता रहा था कि सरकार बजट में कुछ ज्यादा देने वाली नहीं है, लेकिन हुआ एकदम अलग। केंद्र सरकार ने पिछली सारी आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए इस बार भी राहतों की बौछार की है।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह बजट पूरी तरह से नौजवान पीढ़ी के लिए है। यानी स्पष्ट है कि बजट भविष्य की तस्वीर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि यंग इंडिया को कर्ज के बोझ से दबा और घाटे से भरा हुआ भारत मिले। यही कारण है कि उन्होंने देश के सुनहरे भविष्य के लिए इस बजट में कुछ कड़े फैसले किए हैं। कुछ टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ने का रिस्क लिया है। मगर यह कुछ समय का प्रभाव है। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का संबंध शुल्कों में बढ़ोतरी से ज्यादा डिमांड और सप्लाई से है। बाजार में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने से खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। इस मामले में कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि आम आदमी, खासकर गरीब को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मिल सके।

बजट में भविष्य की चुनौतियों पर विशेष ध्यान

केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी का बजट में कृषि और लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान रहा, लेकिन कुछ न कुछ सभी क्षेत्रों को मिला है। वित्तमंत्री ने कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया है तो यह अनायास ही नहीं है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो वर्ष 2050 तक दुनिया की कुल आबादी करीब 9.1 अरब के आंकड़े तक पहुंच सकती है। अभी विश्व की कुल जनसंख्या करीब 6.8 अरब है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग दुगुनी हो जाएगी, खासकर विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से खपत भी बढ़ने की उम्मीद है। इनमें चीन और भारत मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके साथ ही कई देशों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके तहत जैव–ईंधन के लिए कृषि जिंसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग किया जा रहा है। चीनी और मक्का इसका सटीक उदाहरण हैं। एक ओर इनके उत्पादन में गिरावट आ रही है, वहीं दूसरी ओर बायो–फ्यूल में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि में कमी, जल संकट आदि के चलते 2050 तक करीब 35 फीसदी खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की आशंका है। इस आशंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अभी से सचेत हो गई है। क्योंकि एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का रकबा भी घट रहा है। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक कृषि योग्य भूमि का आकार सालाना एक करोड़ हेक्टेयर की दर से कम हो रहा है। इसकी वजह है कृषि योग्य भूमि का रिहायशी और औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ता इस्तेमाल। भारत में खेती मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर है। वैश्विक स्तर की बात करें तो हर 20 साल में पानी की खपत दुगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि आबादी में भी दुगुने का इजाफा हो जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि सिमटकर 0.6 एकड़ रह जाएगी, जो 1960 में 1.1 एकड़ थी। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बजट में कृषि को पोषित करने की कोशिश की है जिससे आने वाले समय में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण में ही दिख गई थी झलक

हर साल आम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है। इस सर्वेक्षण में ही देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। इस बार बजट से पूर्व आए आर्थिक सर्वेक्षण में ही यह बात साबित हो गई थी कि वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी बजट में ऐसा प्रावधान करेंगे, जिसकी वजह से देश को दूरगामी लाभ होगा। हुआ भी वही। वित्तमंत्री ने बजट में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसकी वजह से देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। जहां तक बात आर्थिक सर्वेक्षण की है तो अगले चार साल में देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल कर लेगा और अगले चार साल में भारत सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। सर्वे

के मुताबिक, कारोबारी साल 2010–11 में देश के जीडीपी की विकास दर 8.25 से 8.75 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। इसके अगले कारोबारी साल यानी 2011–12 में विकास दर 9 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। सर्वे में राहत पैकेज को धीरे–धीरे खत्म किए जाने की वकालत की गई है। सर्वे में ही इंफ्रास्ट्रचर सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने की वकालत करते हुए कहा गया कि इस सेक्टर के विकास की राह में आने वाली बाधाओं को फौरन दूर किया जाना चाहिए। बचत का इस्तेमाल इस सेक्टर के विकास के लिए किया जाना चाहिए। वित्तमंत्री ने भी वही किया। उन्होंने कृषि के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है।

करदाताओं को भी राहत

आयकर के 10 प्रतिशत के पहले स्लेब की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे सामान्य करदाता को राहत मिलेगी। वित्तमंत्री ने आयकर में 26 हजार करोड़ रुपये की छूट दी है जबकि उत्पादन टैक्स में 46 हजार करोड़ की वृद्धि की है। यह कदम भी सही दिशा में है। दोनों परिवर्तनों का सम्मिलित असर होगा कि जो लोग खपत अधिक करते हैं उन्हें टैक्स ज्यादा अदा करना पड़ेगा। खरीदे गए माल पर उत्पादन कर बढ़ा दिया गया है। जो लोग बचत ज्यादा करते हैं, उन पर टैक्स का भार कम होगा। उन्हें आयकर कम अदा करना पड़ेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तमंत्री ने स्वच्छ स्रोतों को प्रोत्साहन दिया है। सौर ऊर्जा के विकास को अधिक धन उपलब्ध कराया गया है। कोयले पर 50 रुपये का अतिरिक्त टैक्स स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है।

खेती और किसानों पर जोर

वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए आम बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। यही वजह है कि बजट में हरित क्रांति के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले वर्ष जहां एकमुश्त ऋण माफी की योजना दी थी वहीं इस बार किसानों के लिए कर्ज़ चुकाने की अवधि को छह महीने बढ़ाकर जून 2010 तक कर दिया है। वहीं समय पर कर्ज़ चुकाने वालों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं किसानों को सीधे सब्सिडी देने की भी तैयारी है। सरकार खाद पर किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है। अपने बजट भाषण में प्रणब मुखर्जी ने ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग के लिए पांच मेगा फूड पार्क बनाने की बात कही। इससे निश्चित रूप से किसानों की माली हालत में सुधार आएगा। साथ ही कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा।

आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने की तैयारी

बजट 2010–11 में सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे जैसे आधारभूत ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है। बजट में प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सड़कों के लिए वर्ष 2010–11 के लिए 17520 करोड़ की जगह 19894 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह बिजली क्षेत्र के लिए आयोजन आवंटन चालू वित्तवर्ष के 2230 करोड़ रुपये की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा बढ़ाया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए यह राशि 5130 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत निर्माण योजना के तहत चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए अलग से राशि आवंटित की गई है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के तहत 2022 तक बीस हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में सौर, लघु जल एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।

शिक्षा पर अधिक खर्च

केंद्र सरकार शिक्षा को मजबूती देना चाहती है। सरकार का मानना है कि जब तक देश में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक विकास पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 31 हजार 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा यह राशि 3,236 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसके साथ ही राज्यों को वर्ष 2010–11 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 3,675 करोड़ रुपये अनुसंशित अनुदानों के तहत अलग से दिए जाएंगे। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,000 करोड़ रुपये, मिड–डे मील देने के लिए 9,440 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1,700 करोड़ रुपये और प्रौढ़ शिक्षा व दक्षता विकास के लिए 1,167 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह यूजीसी को 4,390 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा के लिए 4,706 करोड़ रुपये और आईटी के जरिए शिक्षा के प्रचार व विस्तार के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य पर जोर

इस बार बजट में परिवार कल्याण मंत्रालय को गत वर्ष की अपेक्षा 2,766 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। पिछली बार बजट में 13,910 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ाकर इस बार 22,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें से 13,910 करोड़ रुपये सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि 50 करोड़ को बढ़ाकर 103 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुष के लिए 922 करोड़ रुपये के मुकाबले 964 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई.मेल : kusumalata.kathar@gmail.com

ग्रामीण भारत के चतुर्विध विकास की पहल

वर्ष 2010–11 का बजट वर्तमान परिस्थितियों के एकदम अनुकूल है। अभी जो हालात हैं उसमें कई विरोधाभास हैं। एक तरफ विकास को प्रोत्साहित करने की जरुरत है; मंदी के दौर में जो खोया है उसे पाने में वक्त तो लगेगा ही। इसके साथ ही वित्तीय हालात को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ करना है। सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले इस विरोधाभास से निपटना था। इस लिहाज से यह बजट बहुत ही सोच–समझकर बनाया गया है और जितने भी ठोस कदम उठाए जा सकते थे, वे सब उठाए गए हैं।

डॉ. जगबीर कौशिक

किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसके गांवों का विकास संभव न हो जाए। कुछ प्रतिशत लोगों या क्षेत्रों की प्रगति के विकासमान आंकड़े प्रस्तुत करके तालियां तो पीटी जा सकती हैं किन्तु छाती नहीं ठोकी जा सकती। अतीत बतलाता है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से कटा रहा, तब तक इंडिया ने तो विकास किया किन्तु विकास के नाम पर भारत की नींव खोखली रही। कृषि विकास दर घटती गई और गांवों से पलायन बढ़ता गया। इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों की कमी, रोजगार के साधनों की बदहाल स्थिति, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की शून्यता, बिजली की कटौती आदि ऐसे कारण हैं जिनसे गांव विकास के मामले में पिछड़ते गए। किन्तु पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए नरेगा जैसी नई–नई योजनाओं की शुरुआत के साथ–साथ देश के युवा नेतृत्व द्वारा गांवों में जाकर ग्रामीणों के साथ तादात्म्य स्थापित करने से गांवों में भी विकास की बयार बहने लगी है क्योंकि सरकार को इससे गांवों के पिछड़ेपन की हकीकत को समझने में सहायता मिलती है।

अब ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बदल रहे हैं। गांवों के प्रत्येक घर की चौखट पर खड़ी मोटरसाइकिल, घर के अन्दर से आती टेलीविजन की आवाज, गांवों की सड़कों पर सरपट दौड़ती कारें, ग्रामीण युवाओं का शिक्षा के प्रति झुकाव, एफएमसीजी कम्पनियों का गांवों में प्रवेश यह सिद्ध करता है कि अब ग्रामीण परिवेश में बदलाव आना शुरू हो गया है और केन्द्र सरकार के पिछले कई बजटों ने इस बदलाव में तेजी लाने का काम किया है।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2010–11 का जो बजट पेश किया है वह वर्तमान परिस्थितियों के एकदम अनुकूल है। इस बजट में वही किया गया है जिसकी जरूरत थी। अभी जो हालात हैं उसमें कई विरोधाभास हैं। एक तरफ विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मंदी के दौर में जो खोया है उसे पाने में वक्त तो लगेगा ही। इसके साथ ही वित्तीय हालात को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ करना है। सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले इस विरोधाभास से निपटना था। इस लिहाज से यह बजट बहुत ही सोच–समझकर बनाया गया है और जितने भी ठोस कदम उठाए जा सकते थे, वे सब उठाए गए हैं।

इसके अलावा सरकार की अपनी प्राथमिकताएं भी हैं। उसे सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना है। उसे सर्वशिक्षा अभियान पर खर्च करना है। उसे नरेगा जैसी योजना को आगे बढ़ाना है। सुरक्षा खर्च के दबाव भी हैं। सरकार ने इन सब में समन्वय बिठाने की कोशिश की है। और इस समन्वय का ही नतीजा है कि उसे आठ फीसदी विकास दर हासिल करने का पूरा आत्मविश्वास है, साथ ही यह आत्मविश्वास भी कि दहाई आंकड़े की विकास दर भी अब ज्यादा दूर नहीं है। इस बजट से हम प्रगति की दिशा में चल पड़े हैं।

बजट की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृषि पर काफी ध्यान दिया गया है। पिछले कुछ सालों में मांग के मुकाबले अनाज आदि की आपूर्ति जिस तरह से कम हुई हैं, उसे देखते हुए यह बहुत जरूरी था। देश की कृषि की तीन जरूरतें हैं। पहली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, दूसरी किसानों के लिए कर्ज का पुख्ता इंतजाम करना और तीसरी कृषि उपज को बरबाद होने से बचाना। इस बजट में सरकार ने इन तीनों ही चीजों का ध्यान रखने की कोशिश की है।

वर्ष 2010–11 के आम बजट में कृषि के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। किसानों का हौंसला बनाए रखने के लिए सरकार ने समय पर बकाया चुकाने वाले किसानों को पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि ऋण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही कृषि उपकरणों के सस्ता होने से भी बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में कृषि और लघु उद्योगों में उपयोग में आने वाली पाइप जैसी कई चीजों पर कर घटाया गया है ताकि किसान को खेती के लिए नई मशीनों को अपनाने में मदद मिल सके।

कृषि क्षेत्र के लिए 2010–11 के आम बजट में 15647 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष से 3732 करोड़ 75 लाख रूपये अधिक है। इसके अलावा कृषि ऋण की अदायगी की अवधि भी छह माह तक बढ़ाकर 30 जून 2010 कर दी गई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई परियोजना के पहले घटक में ग्रामसभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से देश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में हरित क्रांति का विस्तार करना है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। वर्षापोषित क्षेत्रों में दलहन और तेल बीज ग्राम तथा जल संचयन, जल संभर प्रबंधन तथा मृदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। समय पर बकाया चुकाने वाले किसानों को पांच प्रतिशत की सब्सिडीयुक्त दर पर कृषि ऋण मिलेगा। यह ब्याज दर बाजार दर से दो प्रतिशत कम है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण आबंटन लक्ष्य को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 3,75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2009–10 में 3,25,000 करोड़ रुपये था। पिछले बजट में लघु अवधि के कृषि ऋणों को समय पर चुकाने वाले किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता दी गई थी। समय पर कृषि ऋण चुकाने पर मिलने वाली सहायता को 2010–11 के लिए बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस मद में 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। कार्ययोजना के दूसरे घटक के तहत भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के

चुनौतियां बनाम आवंटन

- सिंचाई सुविधाएं–लघु सिंचाई के लिए 116.50 करोड़ रुपये का आवंटन
- वृहद् और मध्यम सिंचाई के लिए 254 करोड़ रुपये
- फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती
- दूसरी हरित क्रान्ति की घोषणा – 400 करोड़ रुपये का आबंटन
- दलहन व तिलहन की पैदावार बढ़ाने की चुनौती
- असिंचित क्षेत्रों में दलहन व तिलहन खेती के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन
- आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन के लिए 200 करोड़ रुपये
- फसल के बाद नुकसान रोकने की चुनौती
- गोदाम व कोल्ड स्टोरेज की शृंखला खोलने के लिए रियायतें बढ़ीं

जरिए प्राइवेट पार्टियों से गोदाम किराए पर लेने की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया जा रहा है। कृषि मंत्री शरद पवार ने बजट को विकासोन्मुखी करार देते हुए कहा है कि इसमें घोषित उपाय कृषि क्षेत्र को 11वीं योजनावधि में चार प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे।

ग्रामीण आवास के लिए 10,000 करोड़

वर्ष 2010–11 में ग्रामीण आवास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। सरकार ने ग्रामीण आवास की परियोजना इंदिरा आवास योजना को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेयजल आपूर्ति योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ दिया है। शहरी विकास के लिए भी 7,605.75 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

मनरेगा से बढ़ेगी हरियाली

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 40,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मनरेगा में संशोधन के अनुसार अब इस काम में जल संरक्षण तथा तालाबों व पोखरों का निर्माण जोड़ा गया है। साथ ही इस योजना के तहत सीमान्त तथा लघु किसान भी अपने खेतों में जल संरक्षण तथा समतलीकरण का काम कर सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा में इस संशोधन के बाद इस धन का उपयोग भी कृषि की मजबूती में होगा। किसान को इससे दोहरा लाभ मिलेगा। एक ओर उसे अपने ही खेत में मजदूरी मिलेगी तो दूसरी ओर उसके खेतों में कृषि उपज में भी वृद्धि होगी।

खाद्य सुरक्षा बिल पर आएगा मसौदा

वित्तमंत्री ने दावा किया कि सरदार जल्दी ही खाद्य विधेयक का ड्राफ्ट (मसौदा) सार्वजनिक करेगी। यूपीए सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का वादा किया था। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने तीने रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 25 किलोग्राम गेहूं या चावल मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है।

बुनियादी ढांचा निर्माण पर जोर

बुनियादी ढांचों के निर्माण पर केंद्र सरकार के जोर को देखते हुए इसके विकास की मद में एक भारी–भरकम राशि आबंटित की गई है। बजट में बुनियादी ढांचों, खासकर परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए 1,73,552 करोड़ रुपये की विशाल राशि आबंटित की गई है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेल जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास बहुत मायने रखता है।

विकास के मुख्य सूत्र

ग्रामीण विकास

- महात्मा गांधी के शब्दों में "जिस प्रकार यह ब्रह्माण्ड स्वयं में विद्यमान है उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है।" सरकार के लिए ग्रामीण अवसंरचना एक उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्ष 2010–11 के लिए ग्रामीण विकास हेतु 66,100 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के चार वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में यह सभी जिलों मे कार्यान्वित की गई है और इसके अंतर्गत 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को लाया गया है। नरेगा के लिए आबंटन वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 40,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत निर्माण ने ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2010–11 में इन कार्यक्रमों के लिए 48,000 करोड़ रुपये की राशि के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

- इंदिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए एक लोकप्रिय ग्रामीण आवास योजना है। भवन–निर्माण की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत प्रति इकाई लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 48,500 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना का आबंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
- देश के पिछड़े जिलों में अवसंरचना अंतराल दूर करने की कार्यनीति के भाग के रूप में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एक प्रभावी साधन साबित हुई है। वर्ष 2010–11 के लिए इस निधि में वर्ष 2009–10 के 5,800 करोड़ रुपये के मुकाबले 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 7,300 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि विकास

- कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण आय को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना हमारे संकल्प का केन्द्र बिन्दु है। इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने हेतु सरकार का इरादा चतुर्थ स्तरीय कार्ययोजना का अनुसरण करने का है जिसमें (क) कृषि उत्पादन, (ख) उत्पाद की बर्बादी में कमी, (ग) किसानों को ऋण सहायता और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देना शामिल है।
- कार्ययोजना का पहला घटक ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से हरित क्रांति का विस्तार देश के पूर्वी क्षेत्र में करना है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं। वर्ष 2010–11 के लिए इस पहल हेतु 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
- गणतंत्र के 60वें वर्ष में 2010–11 के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन और तेल बीज ग्रामों" को आयोजित करने और जल संचयन, जल संभर प्रबन्धन तथा मृदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि शुष्क भू–कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रोत्साहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अभिन्न भाग होगा।
- संरक्षित कृषि जिसमें मृदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव–विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कायम रखा जाएगा। इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु 200 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।
- कार्ययोजना का दूसरा घटक देश में भण्डारण में बड़ी मात्रा में बर्बादी को कम से कम करने तथा मौजूदा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रचालन से सम्बद्ध है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जैसाकि प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है "हमें बेहतर प्रतिस्पर्द्धा की आवश्यकता है और इसलिए खुदरा व्यापार को खोलने के लिए ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है।" इससे खेत–स्तरीय कीमतों, थोक मूल्य कीमतों तथा खुदरा कीमतों के बीच व्याप्त भारी अन्तर को पाटने में सहायता मिलेगी।
- भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण क्षमता की कमी के कारण बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी होती है। भण्डारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूदा योजना के जरिए पूरा किया जाता है, जहां भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किराए पर

सरकार का हाथ–किसानों के साथ

- समय पर बकाया चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत की रियायती दर पर कृषि ऋण। कृषि ऋण में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
- किसानों को देय ब्याज मदद बढ़ाकर दो प्रतिशत की जाएगी, जिससे उनके लिए प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत सालाना हो जाएगी।
- 2010–11 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण आबंटन लक्ष्य 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये।
- 71 हजार करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना का विस्तार इस साल जून तक।
- गैर–सिंचित इलाकों में 60 हजार दलहन और तिलहन गांवों का गठन होगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का फंड 39,100 करोड़ से बढ़कर 40,100 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण विकास के लिए राशि 62,670 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 66,100 करोड़ रुपये।
- भारत निर्माण के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए 48,000 करोड़ रुपये।
- इंदिरा आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये। मकान की लागत बढ़ाई गई।

लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है।

- कार्ययोजना का तीसरा घटक किसानों की ऋण उपलब्धता में सुधार करने से सम्बद्ध है। बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010–11 हेतु यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष में 3,25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,75,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- "किसानों के लिए ऋण माफी और राहत योजना" सरकार की एक मुख्य पहल थी। देश के कुछ राज्यों में हाल के सूखे और कुछ अन्य भागों में आयी भयंकर बाढ़ को देखते हुए किसानों द्वारा लिए गए ऋण की वापसी अदायगी अवधि को 31 दिसम्बर 2009 से जून, 2010 तक छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- पिछले बजट में अल्पावधि फसल ऋणों की समय अनुसूची के अनुसार अदायगी करने वाले किसानों हेतु प्रोत्साहन स्वरूप एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता मुहैया करायी गई थी। वर्ष 2010–11 में इस आर्थिक सहायता को फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों हेतु 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, ऐसे किसानों हेतु ब्याज की प्रभावी दर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत होगी। बजट में इस विषय में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।
- कार्ययोजना के चौथे घटक का उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। पहले से स्थापित दस मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने ऐसे पांच और पार्कों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
- बाजार योजना के लिए कृषि के भाग के रूप में, विदेशी वाणिज्यिक उधार अब से कोल्ड स्टोरेज अथवा कोल्ड रूम सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे जिनमें कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु फार्म लेवल प्री–कूलिंग शामिल होगा। ईसीबी नीति के अन्तर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण

40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों की पूंजी की साझेदारी केन्द्र सरकार प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस बैंकों का अन्तिम पूंजीकरण 2006–07 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूंजी आधार हो।

ग्रामीण विकास हेतु आबंटन में वृद्धि – केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केवल याद ही नहीं किया, बल्कि उनकी बातों पर अमल करते हुए गांवों और किसानों की तरक्की के लिए अपने खजाने के दरवाजे भी खोल दिए। प्रणब मुखर्जी ने गांधी के सबसे प्रिय वाक्य को दोहराया – 'भारत गांवों में बसता है।' अनुभव के धनी प्रणब मुखर्जी ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ाते हुए कहा कि सरकार के लिए ग्रामीण इन्फ्रास्ट्राक्चर को मजबूत करना एक उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है।

खाद्य सुरक्षा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार इस पर कानून बनाने जा रही है। बिना खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाए यह कागजी कानून बनकर रह जाएगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान को प्रेरित करना होगा। अन्नदाता कहलाने वाले किसान की अभी भी यह हालत है कि वह अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता। गांव और किसानों की हालत बदले बिना देश की हालत नहीं बदल सकती, इस तल्ख सच्चाई को जानने वाले युवा नेता राहुल गांधी ने बजट से पहले प्रणब मुखर्जी से मिलकर उनसे गांवों पर फोकस एजेंडे की बात की थी। वित्तमंत्री ने राहुल के भविष्य के एजेंडे को समझते हुए कृषि और गांवों के लिए बजट आबंटन तो बढ़ाया ही, साथ ही हरित क्रान्ति का मुंह बिहार की तरफ मोड़ते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 400 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है।

कृषि विकास के साथ गांवों में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री ने चार सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न की बर्बादी रोकना, किसानों को कर्ज की मदद और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पर जोर देना शामिल है। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की योजना की शुरुआत करते हुए इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किसान नेता नरेश कुमार का कहना है कि यह दूसरी हरित क्रान्ति की दिशा में उठ रहे कदम हैं। किसानों के लिए ब्याज दर घटाना और समय पर कर्ज अदा करने वालों को 2 प्रतिशत की छूट को नरेश दूरगामी असर वाले फैसले बताते हैं। सरकार ने गांवों के विकास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा है। ग्रामीण विकास का बजट करीब 3,500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 66,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नरेगा में एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसके लिए 7300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(लेखक मासिक पत्रिका के संपादन से संबद्ध हैं)
ई–मेल : dr.kaushik@rocketmail.com

किसान हितैषी बजट

वित्तवर्ष 2010-11 के बजट को आम लोगों की दशा सुधारने के लिए और आर्थिक परिदृश्य तथा ग्रामीण जीवन में गुलाबी रंग भरने के लिए चुनौतियों से जूझने वाले बजट का नाम देना बेहतर होगा। लेखक के विचार में महंगाई से निपटने या विकास की राह पर आगे बढ़ने में से किसे प्राथमिकता दी जाए - इस द्वंद्व अथवा ऊहापोह की छाप इस बजट से साफ झलकती है। बजट में खटास और मिठास दोनों का पुट है। संतुलन की चाहत लिए इस बजट में विकास की गति को रफ्तार देने और बढ़ती महंगाई की चाल को धीमा करने की छटपटाहट है।

वेद प्रकाश अरोड़ा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की पहली पारी में 2004–05 से 2007–08 के चार वर्षों में एकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत और नौ प्रतिशत की क्रमिक वार्षिक वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, विकास दर की औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 8.8 प्रतिशत रही। यह विकसित देशों की औसत विकास दर से कहीं अधिक चमक लिए थी। लेकिन इस उत्साहवर्धक परिदृश्य में कृषि क्षेत्र के संकेत कुछ निराशा उत्पन्न करने वाले थे। चार प्रतिशत की लक्षित विकास दर हासिल करना निरंतर कठिन होता चला गया है। वर्ष 2007–08 की पहली छमाही में अच्छी शुरुआत के बावजूद पूरे वर्ष कृषि विकास दर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई। परवर्ती वर्षों में कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता गहराती चली गई। कुछ क्षेत्रों में ऊंचे दावों के बावजूद कृषि दर में नकारात्मक विकास के मनहूस संकेत और अनुमान ही देखने को मिले। अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक की अवधि में कच्चे तेल, जिंसों और अनाजों के वैश्विक मूल्यों में तेज उछाल आ गया। गेहूं के भाव 88 प्रतिशत और चावल के दाम 15 प्रतिशत बढ़ गए। खनिज, लोहे, तांबा, सीसे, रांगा और यूरिया जैसी वस्तुओं के मूल्यों में भी उछाल आ गया। तब ये रुझान बराबर खतरे की घंटी दे रहे थे। मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति जोर पकड़ती चली गई। इस सबसे भारत कैसे अछूता रह सकता था। देश के अंदर भी बढ़ते मूल्यों का कोहराम जोर पकड़ता चला गया। हमारे यहां मुद्रास्फीति से मूल्यों में खासकर खाने–पीने की आम चीजों की मूल्य दरों पर दबाव बढ़ने लगा। खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि के कारण इनकी आपूर्ति के प्रबंधन में कठिनाई से रूबरू होना पड़ा। हालांकि वर्ष 2007–08 और 2008–09 में अनाजों का भरपूर उत्पादन हुआ। इसी दौरान राष्ट्रीय कृषक नीति घोषणा तथा 25000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4882 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई।

इसी दौर में चालू खाते के घाटे से कहीं अधिक पूंजी वित्तीय बाजार में प्रवाहित होने का मंजर देखने को मिला। यह हमारे मौद्रिक प्रबंधन के लिए चुनौती थी। तब भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार में पूंजी प्रवाह कम करते हुए उसे सोखने का काम किया। परिणाम यह हुआ कि राजकोषीय घाटा वर्ष 2003–04 के 4.5 प्रतिशत से कम होकर 2007–08 में 2.7 प्रतिशत और राजस्व घाटा 3.6 प्रतिशत से कम होकर 1.1 प्रतिशत रह गया। सरकारी खजाने के भरते जाने से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सुखद स्थिति उत्पन्न हो गई। इस वित्तीय मजबूती में कृषि, सेवाओं, विनिर्माण, व्यापार और भवन निर्माण सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह कहना बड़बोल नहीं होगा कि इस एकल गाथा का वास्तविक हीरो हमारा किसान था। चार वर्षों के इस सफर में अनाज का उत्पादन प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ टन बढ़ता चला गया। 2007–08 में तो 2.3 करोड़ टन अनाज उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। पहले तीन वर्षों में कृषि की विकास दर बढ़कर 3.7 प्रतिशत तक जा पहुंची लेकिन 2008–09 में बढ़ती वैश्विक मंदी, मांग में गिरावट तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि की विकास दर कम हो गई और वह दो प्रतिशत से भी नीचे चली गई, मंदी की बढ़ती मार के बीच महंगाई के तेवर बढ़ते चले गए। एक तरफ समग्र थोक मूल्य सूचकांक शून्य से भी नीचे चला गया और लगा कि शायद महंगाई कम होने का क्रम आरम्भ हो जाएगा लेकिन नहीं, यानी गेहूं, चावल और दालों जैसी रोजमर्रा की प्राथमिक वस्तुओं का सूचकांक उलटी तस्वीर पेश करता चला गया और अब यह लगभग 18 प्रतिशत के कुछ ऊपर या कुछ नीचे चल रहा है। यह जबर्दस्त महंगाई का सूचक है।

महंगाई पर काबू पाने के सुरसई जबड़े को तोड़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केश रिजर्व रेशो यानी नकदी आरक्षण अनुपात दो चरणों में 0.75 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया। इस दृष्टि से बैंकों की 36000 करोड़ रुपये की नगदी रिजर्व बैंक के हाथ में चली जाएगी। बैंकों की इस राशि का चलन बंद होने से महंगाई पर कुछ लगाम लग सकेगी। लेकिन रेपो तथा रिवर्स रेपो दरों को ज्यों का त्यों रखकर विकास की गति और वृद्धि दर में तेजी लाने का प्रयास किया जाता रहेगा। (रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली

अल्पकालिक नगदी पर ब्याज दर को रेपो दर और उधर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से ली जाने वाली अल्पकालिक नकदी पर ब्याज दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है।) इस कदम से महंगाई रोकने और साथ ही विकास की गति को बनाए रखने का काम किया जाएगा। दोनों के बीच संतुलन रखने की समस्या के समाधान के लिए सरकार फूंक–फूंक कर क्रमिक कदम उठा रही है।

महंगाई को रोकने के साथ ही विकास की राह पर आगे बढ़ते रहने से कृषि उत्पादन में वृद्धि और उसके प्रबंधन में सुचारुता लाने का एक अपना महत्व है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ कृषि उत्पादों के वितरण को सुधारा जाए, उत्पादन और उपलब्धता में सामंजस्य कायम किया जाए, मशीनीकृत गोदामों की संख्या बढ़ाकर अनाज को खराब न होने दिया जाए, मॉनीटरिंग व्यवस्था को चाक–चौबंद किया जाए, किसानों को सीधे सब्सिडी दी जाए, ऋण पर कम ब्याज लिया जाए, वाजिब मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं, किसानों को अपनी उपज पर लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य दिलाया जाए, कृषि से जुड़े व्यवसायों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएं, बुंदेलखण्ड जैसे सूखा पीड़ित इलाके में सिंचाई कार्यों में तेजी लाई जाए और कृषि प्रसंस्कृत उद्योगों की निर्यात नीति को पूरा सम्बल प्रदान किया जाए तो कोई वजह नहीं कि विकास बढ़ने के साथ–साथ महंगाई पर अंकुश न लग सके। नए वित्तवर्ष का बजट सस्ती वाहवाही और लोकलुभावनी बातों से बचते हुए भी किसान की पीड़ा का एहसास लिए है। इसमें 70 प्रतिशत किसानों और ग्रामीणों तथा अन्य सामान्य जनों को केन्द्र में रखकर योजनाएं और कार्यक्रम दिए गए हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि जिस तरह यह ब्रह्मांड स्वयं में विराजमान है, उसी तरह भारत गांवों में बसा हुआ है। उन्हीं की सोच से प्रेरित होकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के 2010–11 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए राशि बढ़ाकर 66100 करोड़ रुपये कर दी गई है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को पहले की तरह उच्च प्राथमिकता क्षेत्र बनाए रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू हुए चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में यह देश के सभी जिलों में लागू हो गई है और इसके अंतर्गत साढ़े चार करोड़ से अधिक परिवारों को लाया गया है। प्रतिदिन काम के लिए पारिश्रमिक बढ़ाकर सौ रुपये कर दिया गया है। इसके बढ़ते प्रभाव और लाभों को देखते हुए नए वित्तवर्ष में इस योजना के लिए आबंटन बढ़ाकर 40,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उधर भारत निर्माण ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार और उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस कार्यक्रम के लिए 48000 करोड़ रुपये का निर्धारण कर उसकी महत्ता को स्वीकारा गया है। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के छह हिस्से हैं जिनमें ग्रामीण सड़कें, टेलीफोनों, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, आवास और विद्युतीकरण शामिल है। 2005 से 2009 तक की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए आबंटन 261 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। पिछले वर्ष यानी 2009–10 में इस कार्यक्रम के लिए 40900 रुपये रखे गए थे। नए वित्त वर्ष में भारत निर्माण कार्यक्रमों के लिए पिछले वर्ष की राशि से 7100 करोड़ रुपये अधिक आबंटित किए गए हैं।

इसी तरह इंदिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए लोकप्रिय आवास योजना है। मकान बनाने के खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत प्रति मकान लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 45000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 48500 रुपये की गई है। इस नए वित्त वर्ष में इस योजना के लिए व्यय राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। देश के पिछड़े जिलों में बुनियादी ढांचे की कमियों और अभावों को दूर करने तथा सुधार के कामों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष एक प्रभावी साधन प्रमाणित हुआ है। नए बजट में इस कोष की राशि 26 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। पिछले बजट की 5800 करोड़ रुपये की राशि में वृद्धि कर अब उसे 7300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं बहुचर्चित बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखे का प्रकोप कम करने के लिए 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

बजट में कृषि के विकास की चर्चा करते हुए कहा गया है कि कृषि क्षेत्र समावेशकारी विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के सरकार के संकल्प का केन्द्र बिन्दु है। इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए सरकार एक ऐसी कार्यनीति अपना रही है जिसके चार हिस्से हैं। इसमें कृषि उपज को बढ़ावा देना, उत्पादों की बरबादी रोकना, किसानों को ऋणों के रूप में सहायता करना और खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देना शामिल है। पहले हिस्से में देश के पूर्वी क्षेत्र में ग्राम सभाओं और किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से हरित क्रांति का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2010–11 में इस काम के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने बताया कि वर्षापोषित क्षेत्रों में 60 हजार दलहन और तेल–बीज गांवों की स्थापना करने और जल–संचयन, जल संभर–प्रबंधन और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए समन्वित प्रयास किया जाएगा ताकि शुष्क भूमि वाले कृषि इलाकों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस काम के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल राष्ट्रीय, कृषि विकास योजना का अंग होगी। हरित क्रांति क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कृषि संरक्षण के जरिए बनाए रखा जाएगा। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता, जल संरक्षण और जैव–विविधता की सुरक्षा पर एक साथ ध्यान देना होगा। जलवायु के अनुकूल यह कृषि पहल शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

जहां तक इस कार्यनीति के दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है, वह भंडारण में और वर्तमान खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं के संचालन में अनाज की काफी बरबादी को रोकने के लिए है। इसका समाधान करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में कहा था हमें अधिक होड़ से काम लेना होगा और फुटकर व्यापार को बढ़ाने के काम पर सुदृढ़ रवैया अपनाना होगा। इससे खेत पर किसानों को दिए जाने वाले मूल्यों, थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों के बीच विद्यमान बड़े अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी। भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता में भारी कमी के कारण गोदामों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदा गया अनाज बरबाद हो जाता है। भण्डारण क्षमता में कमी, निजी क्षेत्र की भागीदारी की वर्तमान योजना के तहत दूर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम पांच वर्ष की गारंटीशुदा अवधि के लिए निजी कम्पनियों से किराए पर गोदाम लेता है। अब यह समयावधि बढ़ाकर सात वर्ष की जा रही है।

जहां तक कार्ययोजना के तीसरे हिस्से का सम्बन्ध है, वह किसानों के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार के लिए है। खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक किसानों के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्यों को पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्तमान 2009–10 वर्ष के 325000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 375000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक बड़ी पहल थी। कुछ राज्यों में हाल में पड़े सूखे और कुछ अन्य भागों में आई भीषण बाढ़ को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ऋण भुगतान की अवधि 31 दिसम्बर 2009 से बढ़ाकर 30 जून 2010 तक कर दी गई है। बजट में एक अन्य सुखद घोषणा यह भी की गई कि पिछले बजट में अल्पावधि फसल ऋणों का समयानुसार भुगतान करने वाले किसनों को प्रोत्साहन के रूप में ब्याज में जिस एक प्रतिशत के अतिरिक्त राहत सहायता देने का प्रावधान किया गया था वह इस बजट में फसल ऋणों का समय पर भुगतान करने पर वर्ष 2010–11 के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दी गई है। इस तरह अब ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर पांच प्रतिशत वार्षिक होगी।

कार्यनीति के चौथे हिस्से का उल्लेख करते हुए बजट में बताया गया कि इसका उद्देश्य अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को अधिक प्रोत्साहित करना है। इस समय स्थापित की जा रही दस बड़ी खाद्य पार्क परियोजनाओं के अलावा ऐसे ही पांच और पार्क बनाने का फैसला किया गया है। खेत से बाजार तक कृषि उत्पाद पहुंचाने के एक हिस्से के रूप में विदेशी वाणिज्यिक उधार अब शीत भंडारों अथवा शीत–कक्ष सुविधा के लिए मिल सकेगा ताकि इनमें कृषि और इससे जुड़े अन्य उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस को सुरक्षित रखा जा सके और जमा किया जा सके।

बजट में कहा गया है कि कृषि के विकास के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी हो जाता है। पर यह तभी सम्भव होता है जब सड़–गल जाने, खराब हो जाने या खाने के लायक न रहने वाले कृषि उत्पादों की सुचारु आपूर्ति शृंखला बनाई जाए, ताकि उन्हें खपत–उपभोग और प्रसंस्करण केन्द्रों में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इस संदर्भ में यह देखना भी जरूरी होता है कि खेतों में उगने वाली चीजों से अधिक से अधिक धन अर्जित करने और उन्हें नए–नए रूपों में प्रस्तुत करने के लिए बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी को समुन्नत और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी होता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कोई कंजूसी या कोताही न बरती जाए। कुछ ऐसा ही खास ध्यान कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों पर भी केन्द्रित करना आवश्यक है। इनमें मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेरी, मुर्गीपालन, मांस, समुद्री मत्स्य पालन और जल जीव पालन शामिल है। इन उद्देश्यों को पाने के लिए बजट में कुछ प्रस्ताव किए गए हैं।

एक – अनाजों और चीनी को मंडियों अथवा गोदामों में मशीनों से ले जाने–उतारने और भरने की मशीनीकृत प्रणाली और फट्टेवाली रेकिंग प्रणाली लगाने के लिए उसे पांच प्रतिशत के रियायती आयात शुल्क के साथ प्रोजेक्ट आयात दर्जा दिया

जाए। साथ ही ऐसे उपकरण लगाने और चलाने के लिए सेवा कर में पूरी छूट दी जाए।

दो – कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के उत्पादों को सुरक्षित रखने या जमा करने के लिए शीत भण्डारों, शीत कक्षों और प्रसंस्करण इकाइयों की आरंभिक स्थापना और विस्तार को सेवा कर से पूरी छूट दी जाए और साथ ही पांच प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क पर प्रोजेक्ट आयात दर्जा दिया जाए।

और तीन – प्रशीतित वैनों या ट्रकों को बनाने के लिए आवश्यक प्रशीतन इकाइयों को सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाए।

वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अन्य रियायतें भी दी जो इस प्रकार हैं –

- भारत में न बनाई जाने वाली विशिष्ट मशीनरी पर पांच प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
- कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की सुरक्षा, भण्डारण और प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट उपकरणों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट और उनके उत्पादों के भण्डारण और गोदामों में रखने पर सेवा कर से छूट दी जाएगी।
- और कृषि में काम आने वाले ट्रेलरों और अर्ध–ट्रेलरों को उत्पाद–शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।

वर्ष 2003 में बागान क्षेत्र में प्रयोग के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर रियायती आयात शुल्क लगाया गया था। यह छूट 2010 में समाप्त हो जाएगी। इस श्रम प्रधान क्षेत्र को अपेक्षित स्तर तक आधुनिक बनाने में अभी और समय लगेगा। इसलिए प्रति संतुलनकारी शुल्क से छूट के साथ–साथ अन्य वर्तमान रियायत को 31 मार्च 2011 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादकता के लिए अच्छी किस्म के रोगरोधी बीजों की सुलभता के लिए इनके परीक्षणों और प्रमाणन को सेवा कर से मुक्त किया जा रहा है।

सड़क मार्ग से अनाजों और दालों की ढुलाई में भी सेवा कर से छूट दी जा रही है। इन्हें रेलों से ढुलाई पर पहले की तरह इस कर से छूट मिलती रहेगी।

आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए नकदी प्रवाह सहज बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क कानून के तहत दो उपायों का प्रस्ताव किया गया है। पहला यह है कि पूंजीगत सामान पर उनकी प्राप्ति के वर्ष में एक ही किश्त में दिए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा ऋण लेने की इजाज़त दी गई है। दूसरा यह है कि इन विनिर्माताओं को मासिक की बजाए तिमाही आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चुकाने की मोहलत दी गई है। ये उपाय इसी वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो जाएंगे। वित्तमंत्री ने अंत में अपने बजट भाषण में आशा और अपेक्षा की कि यह बजट किसानों, कृषकों, उद्यमियों और निवेशकों, और आम आदमी सभी के लिए है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

फार्म 4

(कृपया नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	श्रीमती वीना जैन
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
4. प्रकाशक का नाम	श्रीमती वीना जैन
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
5. संपादक का नाम	श्री कैलाश चन्द मीना
(क्या भारत का नागरिक है?)	हां
(यदि विदेशी है तो मूल देश)	–
पता	कुरुक्षेत्र, कमरा न. 655/661 'ए' विंग, गेट न. 5 निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों ।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्ण साझेदार है ।

मैं वीना जैन एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

(वीना जैन)

प्रकाशक

विकास को गति देता बजट

प्रांजल धर

भारत आज संसार के उभरते हुए देशों में प्रमुख स्थान रखता है और इसकी आर्थिक दृढ़ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक मंदी का नकारात्मक प्रभाव हमारा कोई नुकसान नहीं कर गया है। वर्ष 2010-11 के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमने अनेक समस्याओं को सुलझा लिया है तो अनेक नई चुनौतियां भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इस लेख में लेखक ने राष्ट्र की उपलब्धियों और उलझनों की पड़ताल करने के लिए वर्ष 2010-11 के बजट का आकलन प्रस्तुत किया है।

किसी भी देश का बजट उस देश की आर्थिक दशा का मानचित्र होता है। यह अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने के साथ-साथ समग्र आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, हमारे वित्तमंत्री ने बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले ही आर्थिक समीक्षा में उसका संकेत दे दिया था। बजट की प्रमुख बातें इन्हीं प्राथमिकताओं से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए सरकार उन साधनों का पता लगाने के लिए कटिबद्ध है जिनके ज़रिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) नौ फीसदी करने के बाद उसे दहाई के अंक तक पहुंचाया जा सके। अधिकारिक समावेशी विकास के लिए हालिया उपलब्धियों को समेकित करने के उद्देश्य से आर्थिक विकास बढ़ाना सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। वर्ष 2009 के दिसम्बर माह में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत रही है जो पिछले दो वर्षों में सर्वाधिक है। एक अप्रैल 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करने की स्थिति में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2011 से लागू

करने का प्रयास किया जा रहा है। उर्वरक क्षेत्र के लिए पोषण आधारित सब्सिडी एक अप्रैल 2010 से लागू की जाएगी। गांधी, गांव और गरीब को प्रमुख मानने वाले हमारे भारत में ग्रामीणों के हितों का भी ध्यान रखा जाना अपेक्षित होता है। इसीलिए देश के पूर्वी क्षेत्रों (जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं) में हरित क्रांति के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैंकों से किसानों के लिए कर्ज की राशि वर्ष 2010–11 के लिए 3,75,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

किसान हमारे देश की जीवनदायी धारा हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की अनिश्चितता को देखते हुए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज राहत योजना 31 दिसंबर 2009 से 30 जून 2010 तक छह महीने के लिए बढ़ा दी है। गांवों में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सिवाय विद्युत क्षेत्र के लिए आयोजना आबंटन बढ़ाकर 5310 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 66100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आबंटन को बढ़ाकर 40100 करोड़ रुपये करने का साहसी कदम भी उठाया गया है।

बजट के संदर्भ में करों का विश्लेषण सर्वाधिक आवश्यक होता है। करों की वर्तमान व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हाथ थोड़ी मायूसी जरूर लगी हो लेकिन छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स का बोझ हल्का हुआ है। सरकार ने व्यक्तिगत आयकरों की दिशा में एक कदम आगे बढाया है और वेतनभोगी वर्ग को टैक्स स्लैब बढ़ाकर काफी बड़ी राहत दी है। हालांकि यह भी सही है कि हर किसी को अगले एक वर्ष और तीन प्रतिशत का एजुकेशन सेस (उपकर) देना होगा। इस बजट मे नए सरल फॉर्म आने से रिटर्न दाखिल करना अधिक आसान होगा। सरल फॉर्म आने के बाद कर चुकाने वालों और कर विभाग को अधिक कागजी कार्रवाई में अपना समय नहीं बरबाद करना होगा। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि 1.6 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, 1.6 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत का आयकर लगेगा, पांच से आठ लाख रुपये तक की आय पर बीस प्रतिशत का आयकर लागू होगा और आठ लाख से ज्यादा की आय पर तीस प्रतिशत आयकर देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्रों, ढांचों और संस्थाओं में कमजोरियों को दूर करना भी सरकार के लक्ष्यों में शामिल है।

आज वैश्विक मंदी की चर्चाओं के बीच तेल के दाम एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य–निर्धारण की व्यवहारपरक व टिकाऊ प्रणाली के लिए विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को यथा समय लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्रावधान उदारीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान दौर में खासे महत्वपूर्ण हो चले हैं। इसी संदर्भ में एफडीआई व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन की पद्धति परिभाषित की गई है और मूल्य–निर्धारण और प्रौद्योगिकी अंतरण शुल्क व ट्रेडमार्क, ब्रांडनेम के भुगतान तथा रॉयल्टी के भुगतानों को पूर्णतया उदार बनाया गया है। निर्यात (एक्सपोर्ट) पर दो प्रतिशत की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और लघु व मध्यम उद्योग सम्मिलित हैं।

हस्तशिल्प या लघु उद्योगों के लिए सामाजिक क्षेत्र के प्रावधान अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी लिहाज से सामाजिक क्षेत्र पर खर्च कुल आयोजना व्यय क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए आबंटन में 16 फीसदी की वृद्धि की गई है और इसे 31036 करोड़ रुपये किया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का आबंटन बढ़ाकर 22300 करोड़ रुपये किया गया है। दो हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का वायदा किया गया है। हम सभी जानते हैं कि समावेशी विकास के वर्तमान दौर में बैंकिंग को जनोन्मुखी बनाने की नितांत आवश्यकता है।

आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना किसी भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त है। इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 173552 करोड़ रुपये मुहैया कराये गए हैं। सड़क परिवहन के लिए आबंटन को 13 प्रतिशत बढ़ाकर इसे 19894 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे के लिए सरकार ने 16752 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। आज जब ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन समाप्ति की ओर तेजी से अग्रसर हैं तब अक्षय ऊर्जा का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 61 फीसदी बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट ने अक्षय ऊर्जा के महत्व को बारीकी से रेखांकित किया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान व नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा निधि की स्थापना की गई है जो इस दिशा में मील का पत्थर बन सकती है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के लिए आबंटन 2010–11 में दोगुना करके इसे 500 रूपये करोड़ कर दिया गया है।

भारत निर्माण का कार्यक्रम अपनी राह पर चल रहा है और इसके तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के लिए 48000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का

आबंटन 5800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7300 करोड़ रुपये किया गया है और बुंदेलखंड में सूखे की विषम स्थिति से निबटने के लिए 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। किसान जब खेतों से अपना घर–परिवार चला रहे हों तब सूखे जैसी समस्या का डटकर मुकाबला करना अत्यावश्यक है। सरकार इसी प्रकार क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने के लिए भी कटिबद्ध है ताकि पूरा देश एकसमान गति से विकास के पथ पर चलने में सक्षम हो सके।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगर इस बजट को विकास को गति देने वाला बजट कहा है तो इसके ठोस आधार हैं। शहरी विकास के लिए आबंटन को 75 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपये किया गया है तथा आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए आबंटन 850 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया गया है। आवास की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की चुनौती हमारे सामने अभी भी मौजूद है क्योंकि हम गरीबी से जूझ रहे राष्ट्र हैं। इसी क्रम में इन्दिरा आवास योजना के लिए पिछले वर्ष के 150 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 1170 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। एक हजार करोड़ रुपये के प्रारंभिक आबंटन के साथ बुनकरों, ताड़ी बनाने वालों, रिक्शाचालकों और बीड़ी मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति की चर्चा की गई है। इसी तरह सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए राशि बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये की गई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नरेगा लाभार्थियों को भी मिलेगा। महिला सशक्तिकरण आज विश्व के ज्वलंत प्रश्नों में से एक है और इसे दृष्टिगत रखते हुए महिला व बाल विकास के लिए परिव्यय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की गई है।

लेकिन हर बजट अगर कुछ आशाएं–अपेक्षाएं लाता है तो जाहिर है कि उसे नवीन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारी सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि बढ़ता राजकोषीय घाटा चिंता का गंभीर विषय बनता जा रहा है। आज सबसे पहली जरूरत राजकोषीय घाटे को कम करने की है। वित्त आयोग की ओर से सुझाए गए लक्ष्यों का अतिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2010 और 2013 के बीच राजकोषीय घाटे को जीडीपी का क्रमशः 5.5 फीसदी, 4.8 फीसदी और 4.1 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। इससे ब्याज दरों पर दबाव कम होगा क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच बैंकों से कर्ज लेने की प्रतिद्वंदिता पर अंकुश लगाया जा सकेगा। वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह मकसद प्राथमिक तौर पर गैर–योजना व्यय को कम करके हासिल किया है। वित्त वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान की तुलना में यह मात्र 4 फीसदी अधिक है। बजट में सब्सिडी में कमी का जो अनुमान लगाया गया है, इससे यही संकेत मिलता है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जल्द ही सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने जा रही है।

सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचकर 40000 करोड़ रुपये और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी से 35000 करोड़ रुपये उगाहने की आशा कर रही है। यह जीडीपी में 1.1 प्रतिशत का योगदान देगा। राजकोषीय घाटे के बढ़ने की एक प्रमुख वजह मंदी का दौर प्रारंभ होने पर उद्योग जगत को करों में दी गई रियायतें हैं। हाल में आए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के आंकड़ों ने हमें विश्वास दिलाया है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य–लाभ की ओर बढ़ रही है। इसीलिए रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सलाह दी थी कि अब प्रोत्साहन पैकेजों को वापस ले लेना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर उद्योग जगत की कोशिश है कि ये पैकेज इसी प्रकार जारी रहें। इसी द्वंद्व में उलझी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में रियायतों को वापस लेने की घोषणा भी की है, लेकिन यह घोषणा आंशिक है और इसे प्रतीकात्मक ही समझा जाना चाहिए।

महंगाई आज आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता है, जीडीपी की वृद्धि दर से नहीं। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतों में जिस वृद्धि की घोषणा की गई है उससे एक ओर तो परिवहन पर निजी खर्च बढ़ेगा और दूसरी ओर माल–ढुलाई की दरें बढ़ने से अनेक वस्तुओं की कीमतें आसमान की ओर बढ़ेंगी। क्या इन सबका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा? अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब आर्थिक सुधारों के लिए उपजे रोष का

सामना करने के लिए विकास का मानवीय चेहरा दिखाया जाने लगा था। जब इस मानवीय चेहरे की हकीकत भी बढ़ती महंगाई को नहीं रोक पाई तब समावेशी विकास जैसी अवधारणाओं की चर्चा शुरू हो गई। आज समावेशी विकास के नाम पर सरकार सामाजिक मदों में खर्च को बढ़ा जरूर रही है लेकिन प्रश्न तो यह है कि इस खर्चे के समायोजन के लिए सरकार अपने विनिवेश के कार्यक्रम पर पुनः क्यों लौट आई है? पर्यावरणीय जागरूकता के वैश्विक अभियान और उसकी बहारों के बीच पूछा जा सकता है कि बजट ने पर्यावरण के लिए क्या प्रावधान किए? और डीजल या खाद के दामों को बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र पर ध्यान दे पाना क्या मुश्किल भी है?

ऐसे अनेक प्रश्नों को देखते हुए सोचना लाजिमी है कि इस बजट को क्या माना जाए? आधा–अधूरा एकपक्षीय बजट या फिर विकास को गति देने वाला बजट? सच तो यही है कि जितनी भी योजनाएं विकास को गति प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हैं, अगर उन सबका सही क्रियान्वयन हो सके – तो निश्चय ही यह बजट विकास की इबारतों को लिखने में सक्षम साबित होगा। राष्ट्र की बहुआयामी प्रगति के लिए इस बजट में अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आबंटन 50 फीसदी बढ़ाकर 1740 करोड़ रुपये, रक्षा आबंटन को बढ़ाकर 174344 करोड़ रुपये और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आबंटन 1900 करोड़ रुपये किया गया है। चिकित्सा उपकरणों को विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट दी गई है। इसी प्रकार रेफ्रिजिरेटेड वैन या ट्रकों के निर्माण के लिए अपेक्षित रेफ्रिजिरेशन यूनिटों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। कृषि बीजों के परीक्षण व प्रमाणन को सेवाकर की छूट दी गई है और भारत में नहीं बनी कृषि मशीनरी के लिए सीमा शुल्क में पांच प्रतिशत की रियायतें दी गई हैं।

बजट में सोने और प्लेटिनम पर 200 रुपये प्रति दस ग्राम सीमा शुल्क आरोपित किया गया है और अस्थि रोग उपचार संबंधी यंत्रों के निर्माण को आयात शुल्क से छूट प्रदान की गई है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर राहत दी गई है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 'साक्षर भारत' नामक नए कार्यक्रम का रूप दिया जाएगा। खिलौने, मोबाइल, मेडिकल उपकरण, सीडी, किताबें, सोलर रिक्शा और वाटर फिल्टर जैसी चीजें सस्ती हुई हैं और सिगरेट या सिगार का कश, पेट्रोल, डीजल, कार, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एसी, टीवी और तंबाकू जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वित्तमंत्री ने निजी करदाताओं को निराश नहीं किया है। साठ प्रतिशत निजी आयकरदाताओं को आंशिक राहत दी गई है जिससे प्रत्यक्ष करों में सरकार को 26 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। हां, आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन दस प्रतिशत आयकर वाली आमदनी के दायरे यानी स्लैब को जरूर बढ़ाया गया है। कर के संबंध में निम्नलिखित चार्ट महत्वपूर्ण है :

आम वैयक्तिक करदाता

- एक लाख साठ हजार रुपये तक : कोई कर नहीं
- एक लाख साठ हजार से पांच लाख रुपये तक : दस प्रतिशत कर
- पांच से आठ लाख रुपये तक : 20 प्रतिशत कर
- आठ लाख रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत कर

महिला करदाता

- एक लाख 90 हजार रूपये तक : कोई कर नहीं
- एक लाख 90 हजार से 5 लाख रुपये तक : 10 प्रतिशत कर
- पांच से आठ लाख रुपये तक : 20 प्रतिशत कर
- आठ लाख रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत कर

वरिष्ठ नागरिक

- दो लाख 40 हजार रुपये तक : कोई कर नहीं
- दो लाख 40 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक : 10 प्रतिशत कर
- पांच से आठ लाख रूपये तक : 20 प्रतिशत कर
- आठ लाख रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत कर

बजट के प्रावधानों के अध्ययन के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मन्दी के प्रभाव से उबरने की कोशिश करते हुए यह बजट भविष्य का आर्थिक खाका खींचने का प्रयास करता है। सामाजिक क्षेत्रक पर दिए गए विशेष ध्यान का अवलोकन करते हुए कहा जा सकता है कि यह बजट विकास को गति देने वाला बजट है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : pranjaldhar@gmail.com

रेलवे में बढ़े रोजगार के अवसर

संगीता यादव

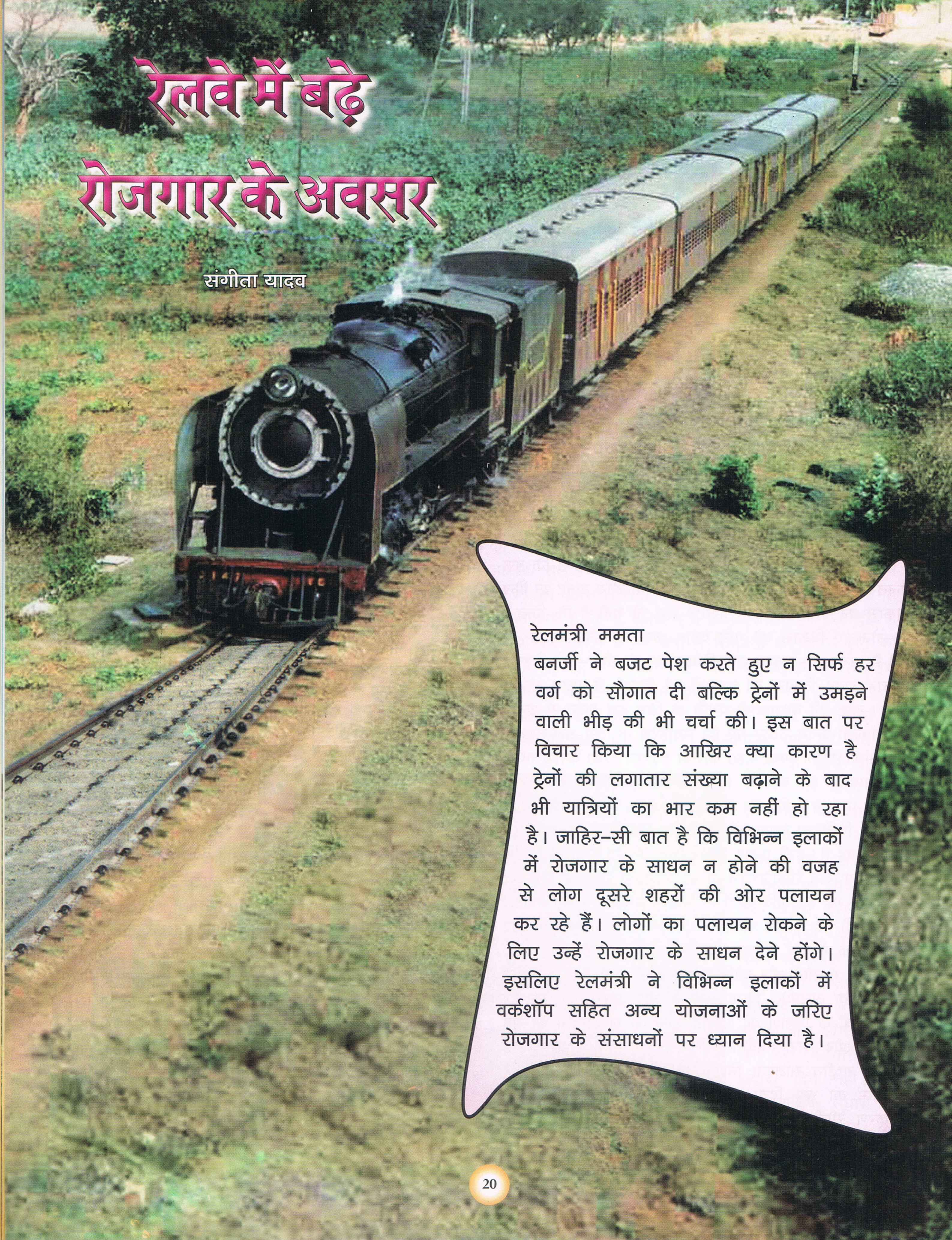

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश करते हुए न सिर्फ हर वर्ग को सौगात दी बल्कि ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की भी चर्चा की। इस बात पर विचार किया कि आखिर क्या कारण है ट्रेनों की लगातार संख्या बढ़ाने के बाद भी यात्रियों का भार कम नहीं हो रहा है। जाहिर-सी बात है कि विभिन्न इलाकों में रोजगार के साधन न होने की वजह से लोग दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों का पलायन रोकने के लिए उन्हें रोजगार के साधन देने होंगे। इसलिए रेलमंत्री ने विभिन्न इलाकों में वर्कशॉप सहित अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार के संसाधनों पर ध्यान दिया है।

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने बजट में हर वर्ग पर मेहरबानी दिखाई है। रेलवे की 2010–11 की वार्षिक योजना 41,426 करोड़ रुपये की होगी जो अब तक की सर्वाधिक एवं पिछले वर्ष की अपेक्षा 681 करोड़ रुपये अधिक है। बजट में अगले वर्ष एक हजार किलोमीटर से अधिक लाइन बिछाने के लिए 4411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तवर्ष में 89 करोड़ टन के लदान के साथ ही माल यातायात आमदनी 58716 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी जो बजट अनुमान से 191 करोड़ रुपये अधिक है। अगले वित्त वर्ष में लदान लक्ष्य 94 करोड़ टन रखा गया है, जिससे 62489 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। इसमें यात्री किराए से 26127 करोड़ रुपये एवं अन्य मदों से 5949 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। रेलमंत्री ने बजट में न सिर्फ यात्री और माल भाड़े को ज्यों का त्यों रखा बल्कि अन्य संसाधनों के जरिए देश की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से रेलमंत्री का यह प्रयास रंग लाएगा और देश के सामने मुंह बाएं खड़ी बेरोजगारी को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा।

रेलमंत्री ने कुल 150 नई ट्रेनों का यात्रियों को तोहफा दिया। इसमें 10 दूरंतो, 54 नई एक्सप्रेस ट्रेनों और 28 नई पैसेंजर ट्रेनें, नौ मेमो, आठ डेमो, 16 भारतीय तीर्थ, एक संस्कृति, एक जन्मभूमि, 21 मातृभूमि, तीन कर्मभूमि, एक इंडो बांग्ला शामिल हैं। इसके अलावा 12 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है और 21 का विस्तार किया है। देशभर में 16 मार्गों पर चलने वाली भारत तीर्थ नामक विशेष पर्यटक ट्रेनें हिमालय से कन्याकुमारी तक, द्वारका से विंध्यपर्वत तक, अजमेर शरीफ से गंगासागर तक और मदुरै से पटना साहिब तक के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को जोड़ेंगी। इतना ही नहीं उन्होंने बजट में खाद, खाद्यान्न और मिट्टी के तेल के भाड़े में प्रति वैगन 100 रुपये की कमी करने की घोषणा की है। कैंसर रोगी मुफ्त यात्रा करेंगे। वर्ष 2010–11 का बजट पेश करते हुए रेलमंत्री ममता बनर्जी ने यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की। पिछले सात साल से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलमंत्री ने ई–टिकट पर सेवा शुल्क घटाकर स्लीपर क्लास के लिए दस रुपये और एसी के लिए 20 रुपये करने का प्रस्ताव किया। कैंसर रोगियों को 3–एसी और शयनयान श्रेणी में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। अभी तक उन्हें किराये में 75 फीसदी की रियायत मिलती थी।

रेलमंत्री की ओर से सालाना एक हजार किलोमीटर रेललाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने ढांचागत विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी की वकालत करते हुए नई लाइनें बिछाने के काम में उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। संसद में रेल बजट पेश होने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एसएस खुराना और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बंदरगाह, लौह अयस्क और कोयला परियोजना क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित है। बाद में अन्य लाइनों के लिए भी निजी क्षेत्र को मौका दिया जा सकता है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने निजी भागीदारी की वकालत करते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाओं के लिए बिजनेस मॉडल विकसित किया जा सकता है। रेलवे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हो जाने के बाद अब भूमि अधिग्रहण के काम में विलंब नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हजार किलोमीटर रेललाइन बिछाने के लिए रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों से धन जुटाएगा।

कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने रेल बजट में यह व्यवस्था की है कि कृषि उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज कंटेनर बनाया जाएगा। इसमें किसानों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अभी भी तमाम फल एवं सब्जियां रखरखाव के अभाव में सड़ जाती हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

निजीकरण नहीं होगा

रेलमंत्री ने बजट के दौरान उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया, जो अभी तक रेल के निजीकरण को लेकर लगाई जा रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा लेकिन उन्होंने विभिन्न रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी की योजना भी सामने रखी जिसके लिए कारोबारी मॉडल विकसित किया जाएगा। रेलवे 2009–10 के दौरान 951 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाएगी जो 2007–08 के मुकाबले 93 फीसदी कम है।

राष्ट्रमंडल प्रदर्शनी ट्रेन

मंत्री महोदया ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रेलवे की अग्रणी भागीदारी होगी और एक राष्ट्रमंडल प्रदर्शनी ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में पांच खेलकूद अकादमी स्थापित की जाएंगी। रेलमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय रेल अग्रणी साझीदार होगी। हॉकी के विकास के लिए और अधिक स्थानों पर एस्ट्रो टर्फ की व्यवस्था की जाएगी।

युवाओं को तवज्जो

तमाम युवा रोजी–रोटी के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर की ओर रुख कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेलमंत्री ममता बनर्जी ने बिना चौकीदार वाली सभी लेवल क्रासिंग पर पांच वर्षों में चौकीदार तैनात करने को कहा है। अकेले इस वर्ष

कहा, हमने कई स्टेशनों पर किफायती मूल्य वाले जनता आहार भोजन की शुरुआत की है। खानपान नीति में संशोधन किया जा रहा है और उसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। हमने चुनिंदा गाड़ियों में विभागीय तौर पर खानपान सेवाएं मुहैया कराने का निश्चय किया है। ममता बनर्जी की यह घोषणा साबित करती है कि वह यात्रियों की सुविधा को लेकर काफी गंभीर हैं। अभी तक रेल यात्रा के दौरान लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत रहती है।

तीन हजार चौकीदारों की नियुक्ति होगी। बाकि अन्य क्रासिंगों के लिए हर साल एक–एक हजार चौकीदार नियुक्त होंगे। इस नियुक्ति से 17 हजार युवा चौकीदार बन सकेंगे और इन्हें रोजगार मिल जाएगा। इसी तरह रेलवे में खाली चल रहे रिक्त पदों को भी भरने की तैयारी है। परीक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों पर परीक्षा देने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए रेलमंत्री ने कहा कि अब रेल भर्ती बोर्ड के सभी प्रश्नपत्र हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी और स्थानीय राज्य भाषाओं में बनाए जाएंगे और एक पद विशेष के लिए परीक्षा सभी रेल भर्ती बोर्ड एक साथ आयोजित करेंगे।

महिला वाहिनी का गठन

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा की चर्चा करते हुए रेलमंत्री ने कहा कि महिला वाहिनी के नाम से महिला रेलवे सुरक्षा बल की 12 कंपनियों का गठन किया जाएगा। इससे महिलाएं भी रेल सुरक्षा से जुड़ सकेंगी। महिलाओं को रोजगार के साधन बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवारों और अल्पसंख्यक समुदायों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए रेल भर्ती बोर्डों का परीक्षा शुल्क माफ किया गया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार

ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कीमत को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रेलमंत्री ने खान–पान नीति बदलने की घोषणा की है। ममता ने

अब इस समस्या का निराकरण हो सकेगा।

संस्कृति एक्सप्रेस

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रेलवे गुरुदेव को समर्पित संस्कृति एक्सप्रेस के नाम से विशेष ट्रेन चलाएगा। रेलमंत्री ने इस ट्रेन की घोषणा करते हुए कहा कि टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं को दो देशों ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है। बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला' और भारत के लिए 'जन गण मन'। इस महान कवि को श्रद्धांजलि देने तथा बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री को मजबूत करने के उद्देश्य से बांग्लादेश सरकार के परामर्श कर सीमा पार के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा टीपू सुल्तान, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर के नाम पर मेट्रो रेल स्टेशनों का नामकरण किया जाएगा। इससे सामाजिक समरसता कायम हो सकेगी। रेलकर्मियों के बीच सांस्कृतिक मेलमिलाप बढ़ाने के लिए रेलवे सांस्कृतिक एवं संवर्धन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन पर नजर

इन दिनों जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न स्थानों पर बहस का दौर चल रहा है। इस समस्या से निबटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। रेलवे ने भी इस समस्या के निस्तारण में पहल की है। रेलवे ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय कार्ययोजना और ऊर्जा ब्यूरो के गहन समन्वय के साथ काम करने के अतिरिक्त दस ईको पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे सदैव पर्यावरण हितैषी रही है और इसलिए रेलवे की ओर से 20 लाख 60 हजार सीएफएल का वितरण और दस ईको पार्कों की स्थापना की जाएगी। रेलवे ने हरित शौचालयों के साथ कम से कम दस रेकों का भी प्रस्ताव किया है। डीजल रेल इंजनों पर जीपीएस आधारित ड्राइवर मार्गदर्शन प्रणाली स्थापित करने की योजना है।

सभी रेलकर्मियों को आवास

रेलवे अपने सभी कर्मचारियों को अगले दस वर्षों में आवास मुहैया कराने के लिए नई योजना शुरू करेगा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं सभी के लिए आवास नाम से एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं जो शहरी विकास मंत्रालय की मदद से सभी रेल कर्मचारियों के लिए आवास मुहैया कराएगी।' इसमें एक तरफ रेलकर्मियों की समस्याओं का निस्तारण होगा दूसरी तरफ भी किसी न किसी रूप में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। क्योंकि रेलकर्मियों के आवास निर्माण शुरू होने से हजारों मजदूरों को काम मिलेगा।

महिलाकर्मियों को तोहफा

रेलमंत्री ने विभाग की महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50 शिशु सदनों और 20 होस्टल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही रेलवे ने केन्द्रीय कर्मचारी लाभ निधि में अंशदान को 350 रुपये प्रति कर्मचारी से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कर्मचारी करने का निर्णय किया है। इस बढ़े हुए अंशदान को गैंगमैन तथा समान कोटियों के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

ई–टिकट

रेलमंत्री ने रेल बजट में ई–टिकट सस्ता करने की घोषणा की है। उन्होंने सेवा प्रभार की अधिकतम सीमा को घटाकर शयनयान श्रेणी के लिए 10 रुपये और वातानुकूलित के लिए 15 रुपये कर दिया है। अभी तक शयनयान के लिए 15 रुपये और वातानुकुलित श्रेणी के लिए टिकटों के लिए 40 रुपये का अधिकतम सेवा प्रभार लगाया जाता है। इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि अब पंचायत स्तर पर भी ई–टिकट काउंटर खुलेंगे इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ई–टिकट काउंटर की व्यवस्था होने से तमाम ऐसे बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही टिकट के लिए होने वाली फजीहत से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह रेलमंत्री ने एक साथ दोहरा फायदा दिया है। इसी तरह आईटी व मेडिकल कालेजों, सरकारी चिकित्सा कालेज, अस्पतालों, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, विश्वविद्यालय परिसरों, आईटी केन्द्रों में भी ई–टिकटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

लगेंगे छह बाटलिंग संयंत्र

रेलमंत्री ने घोषणा की है कि छह बाटलिंग संयंत्र लगेंगे। इससे यात्रियों को निर्धारित मूल्य में शुद्ध पानी मिल सकेगा। एक तरफ बाटलिंग प्लांट लगने से यात्रियों को शुद्ध पानी मिलेगा तो दूसरी तरफ इससे भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। क्योंकि बाटलिंग प्लांट में सैंकड़ों लोगों को काम मिल सकेगा। ये बाटलिंग प्लांट फिलहाल अम्बाला, अमेठी, नासिक, तिरुवनंतपुरम में लगेंगे।

निजी–सार्वजनिक भागीदारी पर जोर

रेलमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जिस परियोजनाओं को योजना आयोग ने लाल झंडी दिखा दी है उन्हें पुनर्विचार के लिए आयोग के सामने पेश किया जाएगा। रेल परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने के लिए ममता बनर्जी ने जल्द ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने की बात कही है। भाषण में रेलमंत्री का पूरा जोर निजी–सार्वजनिक भागीदारी के तहत धन जुटाने पर रहा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

"अब मुझे काम

davp 22201/13/0016/0910

MGNREGA
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोज़गार गारंटी अधिनियम

भारत
निर्माण

गाँव शहर एक साथ चलेगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा

महात्म

- रु.
- लग
- 61

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
- करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
- 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को काम
- में 33 लाख रोज़गार सृजित

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

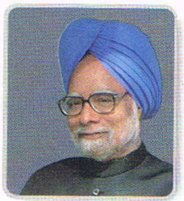

डॉ मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री, भारत

KH-4/10/2

रेल परियोजनाओं से मिलेगा रोजगार

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में डीएमयू कारखाना, रेल धुरा कारखाना (न्यू जलपाइगुड़ी), माल डिब्बा (कालाहांडी, हल्दिया), उच्च धुरा भार माल डिब्बा (डानकुनी), किसान विज़न योजना (सिंगुर, डानकुनी, मछेडा, न्यू जलपाइगुड़ी) और नई रेल लाइनों सहित डेढ़ दर्जन रेल परियोजनाओं की घोषणाएं की है। इन सभी परियोजनाओं से किसी न किसी रूप में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। हजारों की संख्या में मजदूरों को काम मिलेगा। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं से शिक्षित बेरोजगार भी जुड़ सकेंगे।

कैंसर रोगी मुफ्त यात्रा करेंगे

वर्ष 2010–11 का बजट पेश करते हुए रेलमंत्री ने यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की। पिछले सात साल से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। कैंसर रोगियों को 3–एसी और शयनयान श्रेणी में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। अभी तक उन्हें किराये में 75 फीसदी की रियायत मिलती थी।

इसी तरह क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों के तकनीशियनों को शयनयान श्रेणी के किराए में 75 फीसदी तथा इससे उच्च श्रेणी के किराए में 50 फीसदी की छूट दी है।

एक्सीडेंट विहीन बनाने का सपना

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनका सपना है कि रेलवे को एक्सीडेंट विहीन बनाएं। यही वजह है कि बजट का करीब 10 फीसदी हिस्सा ट्रेकों के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। जीरो एक्सीडेंट के इस सपने को पूरा करने के लिए उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी अपनाने और सुप्रशिक्षित जनशक्ति को काम पर लगाने की दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

रोजगारपरक नई योजनाएं

रेलमंत्री की ओर से कोच फैक्ट्री सहित विभिन्न तरह की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इन कारखानों के जरिए हजारों लोगों को काम मिलेगा। ये कारखानें निम्नलिखित स्थानों पर लगेंगे :

- चितरंजन रेल इंजन कारखाने का आधुनिकीकरण।
- रायबरेली कोच फैक्ट्री एक साल में शुरु होगी। कांचरपाड़ा और पालघाट में कोच कारखाना बनेगा।
- वाडनेरा में वैगन रिपेयरिंग फैक्ट्री लगेगी।
- न्यू जलपाईगुड़ी में नई एक्सल फैक्ट्री लगेगी।
- अनारा में कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री लगेगी।

दस स्टेशनों को अन्तर्राष्ट्रीय बनाएंगे

रेलमंत्री ने बताया कि देश के 10 स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इन स्टेशनों पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ये स्टेशन हैं – गोरखपुर, झांसी, भोलपुर, एर्नाकुलम, अंबाला कैंट, जम्मू, खड़गपुर, कोटा, सूरत और ठाणे। इसके अलावा 94 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जाएगा।

बारह ट्रेनों के फेरे बढ़े

- हावड़ा–यशवंतपुर दूरंतो एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर चार दिन।
- सियालदह–अलीपुरद्वार कंचन कन्या एक्सप्रेस को चार दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।
- सियालदह–न्यू जलपाईगुड़ी पदतीक एक्सप्रेस को तीन दिन से बढ़ाकर छह दिन।
- पटना–बंगलरु संघमित्रा एक्सप्रेस को छह दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।
- कोरबा–यशवंतपुर एक्सप्रेस को एक दिन से बढ़ाकर दो दिन।
- मंगलोर–कोचूवेली एर्नाड एक्सप्रेस को तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।
- अहमदाबाद–मुंबई सेन्ट्रल एक्सप्रेस को तीन से बढ़ाकर प्रतिदिन।
- बांद्रा टर्मिनल–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस को तीन से बढ़ाकर चार दिन।
- विशाखापत्तनम–निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस को तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन।
- दिल्ली सराय रोहिल्ला–सादुलपुर एक्सप्रेस तीन दिन से बढ़ाकर छह दिन।
- उदयपुर सिटी–दिल्ली सराय रोहिल्ला चेतक एक्सप्रेस को तीन से बढ़ाकर चार दिन।
- मानिकपुर–हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति को तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन।

नई रेल लाइनें

- अमेठी–सुल्तानपुर
- चंडीगढ़ – देहरादून
- जबलपुर–दंतेवाड़ा
- पटियाला–कुरुक्षेत्र
- देहरादून–कलसी
- पुरी–कोणार्क
- रामेश्वरम–घनुषकोट
- रुड़की–हरिद्वार
- चंडीगढ़–देहरादून
- हिसार–सिरसा
- अजमेर–कोटा
- जयपुर–सीकर
- पलवल–अलवर
- पुष्कर–मेड़ता

- जैसलमेर–बाड़मेर
- देवली–टोंक

फैक्ट फाइल

- प्रतिदिन 17 हजार रेलगाड़ियां चलती हैं।
- प्रतिदिन करीब 64015 किलोमीटर की यात्रा।
- प्रतिदिन औसतन दो करोड़ लोग यात्रा करते हैं।
- देश में 6906 रेलवे स्टेशन हैं।
- चार हजार मालगाड़ियां करीब 85 करोड़ टन माल की ढुलाई करती हैं।

रेलवे का इतिहास

भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। अब करीब डेढ़ सौ साल से अधिक की यात्रा के बीच भारतीय रेल एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का रूप धारण कर चुकी है। इतना ही नहीं इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसके करीब 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अंतर्देशीय परिवहन का रेल मुख्य माध्यम है। वर्ष 1853 में पहली बार मुंबई से थाणे के बीच रेल लाइन बिछाई गई और करीब 34 किलोमीटर की इस लाइन पर पहली बार ट्रेन दौड़ी। रेलवे ने दिनोंदिन तरक्की की। रेलवे के पास करीब 7,910 इंजनों का बेड़ा है। रेलवे के पास करीब 42,441 सवारी सेवाधान, करीब 5,822 अन्य कोच यान और करीब 2,22,379 वैगन हैं। भारतीय रेल के दो मुख्य खंड हैं। इसका नियंत्रण इसके 16 जोनल कार्यालयों द्वारा किया जाता है। ये जोनल हैं–उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेल इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेल जयपुर, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेल मालीगांव (गुवाहाटी), उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर, मध्य रेल मुंबई सीएसटी, दक्षिण मध्य रेल सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेल हाजीपुर, दक्षिणी–पूर्वी मध्य रेल बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर, पूर्वी रेल कोलकाता, पूर्वी तट रेल भुवनेश्वर, दक्षिणी रेल चेन्नै, दक्षिणी पश्चिमी रेल हुबली, दक्षिण–पूर्वी रेल कोलकाता और पश्चिमी रेल मुंबई (चर्च गेट)।

रेलवे के अन्य उपक्रम

भारत में रेल मंत्रालय की ओर से रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न नोडल प्राधिकरण भी बनाए गए हैं। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेल प्रणाली के कार्य प्रचालन की देख–रेख करने में लगे हैं। भारतीय रेल के कार्यचालन की विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए इसने अनेकानेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए हैं जो निम्नलिखित हैं –

- रेल इंडिया टेक्नीकल एवं इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (आर आई टी ई एस)
- इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन (आई आर सी ओ एन) अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई आर एफ सी)
- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी ओ एन सी ओ आर)
- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के आर पी एल)
- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई आर सी टी आर)
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल)
- मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरवीसी लिमिटेड)
- रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन आई)

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : sangeetayadav.shivam@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

केन्द्र सरकार की ओर से पेश वर्ष 2010-11 के बजट ने सभी का मन मोह लिया है। यह बजट उपलब्धियों से भरा नजर आ रहा है। बजट एक तरफ कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति देने वाला है तो दूसरी तरफ विभिन्न प्रावधानों के जरिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ देने की कोशिश की गई है। ये लाभ ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भले बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन बजट में किए गए प्रावधान भविष्य की खुशनुमा तस्वीर को पेश कर रहे हैं। आने वाले समय में न हम सकल घरेलू उत्पाद को दोहरे अंक में हासिल कर सकेंगे बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में भी शामिल हो सकेंगे। इस तरह देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की चौतरफा रणनीति तैयार की गई है।

बजट पर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया

साधना यादव

वित्तमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट पर विभिन्न वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई। इस दौरान सभी ने अपने–अपने तर्क दिए, लेकिन अपना फायदा हर किसी को नजर आ रहा है। विभिन्न वर्ग के लोगों ने बजट पर क्या राय दी। पेश है यह रिपोर्ट उन्हीं की जुबानी :

बजट में किसानों को क्या मिला

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान किसान एवं कृषि पर है। इसलिए किसानों को न सिर्फ विभिन्न तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास है बल्कि उन्हें हरितक्रांति के प्रति प्रेरित भी करना है। फसल कार्यों के लिए कुल 13805.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 6722 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए हैं। इसके अलावा वर्षापोषित क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये, पौध संरक्षण के लिए 58.78 करोड़ रुपये, खाद एवं उर्वरक के लिए 40 करोड रुपये, फसल बीमा के लिए 1050 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

देश के पूर्वी हिस्से बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हरित–क्रांति का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2010–11 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शुष्क इलाके में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार की कोशिश है कि कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए। मौजूदा कृषि ऋण 325000 करोड़ रुपये को बढ़कर वर्ष 2010–11 में 375000 करोड़ रुपये किया गया है। किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत ऋण वापसी की अवधि 31 दिसंबर 2009 से छह माह बढ़ाकर 30 जून 2010 कर दी गई है। फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में एक प्रतिशत की आर्थिक सहायता बढ़ाकर दो प्रतिशत की जा रही है। ऐसी स्थिति में किसान को ऋणों पर सिर्फ पांच फीसदी ब्याज देना होगा। इसी तरह पहले से स्थापित 10 मेगा फूड पार्क परियोजना के अलावा पांच और पार्क बनाने की तैयारी है। किसानों के लिए ट्रेलर एवं अर्द्ध ट्रेलरों के उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। भारत में निर्मित कृषि मशीनरी पर सीमा शुल्क में पांच फीसदी की रियायत और कृषि बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणन को सेवा कर में छूट दी जाएगी।

किसानों की नजर में बजट

प्रगतिशील किसान पेमाराम का कहना है कि बजट के दौरान कृषि ऋण की राशि बढ़ा दी गई है। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। अब किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण मिल सकेगा फायदा निश्चित रूप से उन्हें मिल सकेगा। पेमाराम ने ऋण वापसी की अवधि छह माह बढ़ाने पर भी खुशी जाहिर की और कहा इससे गांव के सभी किसानों ने राहत की सांस ली है।

विजय भट्ट कहते हैं कि उन्होंने खुद ऋण लिया है, जिसकी अदायगी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में समय–सीमा बढ़ा देने से उनकी चिंता खत्म हो गई है। अब उन्हें छह महीने का समय मिल गया है, इसलिए आराम से ऋण चुका देंगे। उन्होंने कहा सरकार की ओर से अल्पावधि कृषि लोन समय पर चुकाने पर एक के बजाय दो फीसदी की छूट का प्रावधान किए जाने से भी उन्हें और दूसरे किसानों को फायदा होगा। इस तरह किसान सबसे सस्ते दर पर लोन के भागीदारी बन सकेंगे।

केन्द्र सरकार की ओर से 60 हजार दलहन तेल बीज ग्राम बनाए जाने के बाबत किसान राजत राम की प्रतिक्रिया थी कि

अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना का भी लाभ किसानों को मिलेगा हालांकि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर कृषि ऋण माफी योजना के बारे में जिन स्थानों पर सूखे एवं बाढ़ की स्थिति है वहां के किसानों को इस बार भी ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था। इस नाराजगी के बावजूद वह कहते हैं कि जिन स्थानों पर सूखे एवं बाढ़ की स्थिति है वहां के किसानों को इस बार भी ऋण माफी योजना

का लाभ दिया जाना चाहिए था। इस नाराजगी के बावजूद वह केंद्र सरकार की ओर से बजट में किसानों के लिए किए गए प्रावधानों से खुश हैं। प्रगतिशील किसान राम चंदर सिंह, बजरंबी, राजेश आदि का कहना है कि देश में निर्मित होने वाली कृषि मशीनरी पर पांच प्रतिशत की रियायत सीमा शुल्क मिलने से बड़े किसान विभिन्न तरह की मशीनें खरीद सकेंगे। किसान अवधन नाथ सिंह का कहना है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार होने से काफी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। सरकार ने ग्रामीण इलाके की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए गत वर्ष की अपेक्षा बजट दुगुना कर दिया है। इससे किसानों के साथ ही गांवों में स्थित लघु उद्योग भी सुधर जाएंगे। भोजवाड़ा के किसान गोपाल बताते हैं कि इस बार गेहूं एवं सरसों का उत्पादन भी अच्छा हुआ है। मौसम भी काफी अनुकूल रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से बजट में कृषि यंत्रों को सस्ता भी कर दिया गया है। इस वर्ष कुछ न कुछ कृषि यंत्र जरूर खरीदेंगे। वे बजट में किए गए प्रावधानों से तो खुश हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि सरकार सिंचाई के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाएं प्रदान करे तो किसानों को काफी लाभ होगा। क्योंकि कई बार सिंचाई के अभाव में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

मजदूरों का क्या कहना है

असंगठित मजदूरों के नेता राजेश चौधरी कहते हैं कि सरकार का इस बार का बजट संतोषप्रद है। सरकार ने बजट में असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई है। इससे मजदूरों की कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वहीं केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 40100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे इस योजना में मजदूरों की भागीदारी बढ़ेगी। काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या में कमी आएगी। राजेश चौधरी की तरह ही हरिराम बुगालिया भी कहते हैं कि अभी तक गांवों में काम की कमी है। इसलिए तमाम मजदूर शहरों में आते हैं, दिनभर इंतजार के बाद जब काम नहीं मिलता है तो वे घर लौट जाते हैं। कई बार उनके सामने खाने–पीने का संकट होता है अब मनरेगा एवं निर्माण संबंधी किए गए अन्य प्रावधानों से गांवों में भी मजदूरों को काम मिलेगा। सरकार की ओर से डीआरडीए के प्रशासन के लिए 405 करोड़ रुपये, एनआईआरडी के लिए 105 करोड़, कपार्ट के लिए 100 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं के लिए 124 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जाहिर है कि इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे और ग्रामीण इलाके से लोगों का पलायन थमेगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति को 2010–11 में खाता खुलवाने पर एक हजार रुपये का अंशदान देने का प्रावधान भी प्रशंसनीय है। बीड़ी मजदूर संघ से जुड़े हासिम कहते हैं कि रिक्शा चालकों, बीड़ी मजदूर, बुनकर व अन्य लोगों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बनाए जाने से एक उम्मीद जगी है। सरकार की ओर से इस बार बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं, जिसकी वजह से हर वर्ग को लाभ होगा।

बढ़ेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

चिकित्सा पेशे से जुड़े डॉ. आरएम सिंह कहते हैं कि अभी भी ग्रामीण इलाके में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही वजह है कि गांवों में झोलाछाप चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। ये चिकित्सक न सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि मुंहमांगी कीमत भी वसूलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को एक चुनौती के रूप में लिया है। बजट में भी यह गंभीरता दिख रही है। चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए 22300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010–11 में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे कराने का फैसला लिया है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि गांवों में तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न समस्याओं के कारण रोगों की अनदेखी करते हैं और यही रोग बाद में जानलेवा बन जाते हैं। सर्वे के बाद ऐसे हर रोगियों की न सिर्फ शिनाख्त हो सकेगी बल्कि समय से उनका इलाज भी हो सकेगा।

इसी तरह डॉ. विजय शुक्ला कहते हैं कि देश में एम्स जैसी संस्थाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे में देश के लोगों को अन्य स्थानों पर भी एम्स जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। एक तरफ जहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा वहीं रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1266.25 करोड़ का प्रावधान किया जाना भी स्वागत योग्य है क्योंकि यह बीमारी एक समस्या बन चुकी है। जब तक एड्स का पूरी तरह खात्मा नहीं होगा तब तक इस बीमारी से जूझना पड़ेगा। डॉ. शुक्ला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किए गए 13910.45 करोड़ के प्रावधान को सही कदम बताते हैं। वह कहते हैं कि अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या काफी कम है। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक के पास मरीजों की लाइन लगी रहती है और वे मरीजों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही रिक्त पदों को भी भरा जाना चाहिए। इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

खिलौने सस्ते होने से बढ़ेगा व्यवसाय

केंद्र सरकार की ओर से बजट में खिलौने सस्ते किए गए हैं। इससे न सिर्फ हर वर्ग के लोग अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी

कर सकेंगे बल्कि खिलौने के कारोबार में लगे लोगों को भी फायदा होगा। आमतौर से खिलौने के फुटकर व्यापार में लगे लोगों के पास पूंजी काफी कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें खिलौने का व्यापार शुरू करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों एवं फुटपाथ पर खिलौना बेचने वाले दयाशंकर को जब बजट में खिलौने सस्ते होने की बात बताई जाती है तो वह खुश हो जाता है। उसका तर्क है कि खिलौने की बिक्री में बचत बहुत कम है। कई बार वह एक से दो रुपये के मुनाफे में ही खिलौना बेच देता है। दिल्ली से खिलौने ले जाने में किराए में भी काफी पैसा खर्च हो जाता है। उसको लगता है कि खिलौने सस्ते होंगे तो उसे भी फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक सौ रुपये में वह ज्यादा से ज्यादा दो खिलौने ले आ पाता था। ऐसी स्थिति में वह दो खिलौने पर चार रुपये ही कमाता था। खिलौना सस्ता होने पर वह सौ रुपये की लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा खिलौना खरीद सकेगा तो उसका मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा।

सात से नौ फीसदी विकास दर सराहनीय

वित्तमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट के बारे में आयकर अधिवक्ता अखिलकुमार का कहना है कि आम बजट में 7 से 9 प्रतिशत तक की विकास दर का रखा जाना सराहनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास भी काबिलेतारीफ है। ग्रामीण विकास कृषि आधारित उत्पादों पर निर्भर करते है। इसलिए कृषि ग्रामीण लघु उद्योग एक–दूसरे के परिपूरक हैं। उसके विकास में उठाया गया कदम भविष्य के लिए बेहतर तस्वीर खीचेंगे। ऐसा लग रहा है कि वित्तमंत्री ने पूरा का पूरा बजट भविष्य के हालात का आकलन करने के बाद ही तैयार किया है। डीजल एवं पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से महंगाई बढ़ सकती है। कुछ लोगों को शिकायत है कि यह गलत हुआ। डीजल एवं पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने इसके दाम कम भी किए थे। फिर यह आयातीत है। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान परिवेश में भौतिक घाटा कम करने के लिए कोई दूसरा उपाय भी नहीं रहा। इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह बजट उत्साहवर्धक है। आयकर में छूट मिलने से हर वर्ग को किसी न किसी रूप में फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ है। जिनकी आमदनी आठ लाख तक ही है। उसे 50 हजार तक के कर में लाभ मिल रहा है।

सीमा शुल्क में टैक्स मामले के जानकार एडवोकेट चंदन सिंह एवं कमलेंद्र कुमार निखिल का कहना है कि सरकार का बजट तो ठीक है। सीमा शुल्क में पांच फीसदी की रियायत एवं उत्पाद शुल्क में छूट दिए जाने से कृषि मशीनरी सहित तमाम चीजें सस्ती तो हुई हैं लेकिन बढ़ती महंगाई को कम करने के और इंतजाम किए जाने चाहिए थे। वहीं सच्चिदानंद सिंह, विजय शर्मा आदि का कहना है कि सरकार ने इंफ्रास्टक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। जब सड़कों का निर्माण होगा, तो विकास के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि एक सड़क पर बनने पर सिर्फ आवागमन का साधन ही सुलभ नहीं होता है। जैसे ही उस पर यातायात बढ़ता है कई तरह के रोजगार को भी बढ़ावा मिलता

ये है टैक्स स्लैब

- 1.60 लाख तक कर रहित
- 1.60 से पांच लाख तक – 10 फीसदी
- पांच से आठ लाख तक – 20 फीसदी
- आठ लाख से अधिक – 30 फीसदी

सस्ते हुए

एलईडी बल्ब, सीएफएल, सोलर उपकरण, देश में बने मोबाइल की एसेसरीज, मेडिकल उपकरण, दातें व मोटे अनाज, हींग, खिलौने, वाटर फिल्टर, सेट टॉप बाक्स, सीडी, किताबें, रबड़ माइक्रोवेव ओवन आदि।

बजट में प्रावधानों से हुए अन्य लाभ एक नजर में

- हर वर्ष एक लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- कपड़ा व गारमेंट इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- टैक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में निवेश लाभदायक हो सकता है।
- मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान देगी राहत।
- पावर, बैंकिंग, हेल्थकेयर की इक्विटीज में निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है।
- पैसे की कमी के कारण लंबित योजनाओं को गति मिलेगी।
- देश में सड़कों का जाल बिछने से गंतव्य तक तेजी से पहुंचा जा सकेगा।
- देश के किसानों को ज्यादा कर्ज मिलेगा।
- अन्न व चीनी भंडार की व्यवस्था में सुधार होगा।
- राशन व अनाज अब बेकार नहीं होने पाएगा।
- बुनकरों को नई तकनीकी का लाभ मिलेगा।
- बुनियादी शिक्षा की रफ्तार बनी रहेगी।
- मोबाइल, फोन उपकरण सस्ते होने से संचार सेवा का विस्तार होगा।
- अगले वर्ष तक ज्यादातर लोगों के पास हो जाएगा यूनिक आईडी नंबर।

है। इसी के तहत 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई गई। सरकार ने 18 राज्यों में इसे विशेष अभियान में शामिल किया। इसका उद्देश्य था कि गरीब और कमजोर वर्गों को प्रभावी सुविधाएं दी जा सकें क्योंकि सड़क के अभाव में तमाम कार्य अवरुद्ध रहते हैं। अब एक हजार की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। इस योजना में वर्ष 2008–09 में 12050 करोड़ रुपये, 2009–10 में 12070 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष सड़क परिवहन में कुल 19894 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वित्तमंत्री ने बजट में यह भी प्रावधान कर दिया है कि सड़क निर्माण सहायता का बजट 13 फीसदी बढ़ाया जा रहा है।

हाइवे निर्माण के लिए जहां 20 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है वहीं प्रतिदिन 20 किलोमीटर हाइवे का निर्माण भी होगा। जाहिर–सी बात है कि सड़क सहायता का बजट बढ़ने पर पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। साथ ही हाइवे निर्माण होने से अन्य सहूलियतें बढ़ेंगी। एक तरफ विकास को नया आयाम मिलेगा तो दूसरी तरफ रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। मसलन सवारी वाहन चलने लगते हैं। आसपास छोटी–छोटी दुकानें खुल जाती हैं। इतना ही नहीं जिस गांव में रोजमर्रा की चीजें पहुंचने में काफी परेशानी होती है वह खुद आसानी में बदल जाती है। यदि सरकार ने बजट में सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही है तो निश्चित रूप से इस बजट की तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि विकास के लिए सड़क पहली जरूरत है। इसके अलावा बिजली, पानी को भी व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। वहीं सरकार की ओर से बजट में सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट सहित एक समान पांच फीसदी रियायती बुनियादी शुल्क तय किया है, जबकि वे सीवीडी व विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त होंगे।

बैंक/बीमा के प्रसार से होगा सुधार

आर्थिक विश्लेषक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार ने बजट में बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर सबसे बेहतर काम किया है। सरकार का लक्ष्य है कि संचार एवं सड़क की तरह ही 2011 तक करीब–करीब हर गांव में बैंक एवं बीमा की पहुंच बन जाए। बजट में 2000 की आबादी वाले करीब 60 हजार गांवों एवं कस्बों में बैंकिंग व बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नए बैंकों को लाइसेंस भी दिया जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा बैंक होंगे तो ग्रामीणों की तमाम समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

मार्केटिंग से जुड़े आदित्य शर्मा का भी कहना है कि बुनियादी सीमा शुल्क 70 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी करने एवं हींग पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 से 20 करने एवं लैटेक्स रबड़ धागे पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आठ फीसदी से घटाकर चार फीसदी करने से ये सामान काफी सस्ते हो जाएंगे। इसका लाभ सभी को मिलेगा।

वहीं बीमा एजेंट क्षमानाथ यादव एवं शेष नारायण सिंह का तर्क है कि बीमा एवं बैंकों के गांव स्तर पर आ जाने पर लोगों की समझ बढ़ेगी। अभी तक किसी भी व्यक्ति का बीमा करने में पसीने छूट जाते हैं। उसे बार–बार समझाना पड़ता है। ग्राहकों को ऐसा लगता है कि उनके बीमे से सिर्फ एजेंट का ही फायदा होगा। इसके पीछे मूल कारण है कि वे बीमा एवं बैंक के बारे में जानते ही नहीं है। जब बैंक एवं बीमा का विस्तार गांव स्तर पर हो जाएगा तो लोग सारी स्थितियों के बारे में खुद जानने लगेंगे। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उन्हें भरोसा रहेगा कि जिस बैंक की योजना ले रहे हैं वह उनके गांव में स्थित है। किसी भी तरह की पूछताछ अथवा अन्य जानकारी के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही गांव स्तर पर बीमा कार्यालय एवं बैंक की व्यवस्था होने पर विभिन्न शिविरों के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा सकेगा। इससे इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा।

बजट गृहणियों की निगाह में

गृहिणी सीमा यादव कहती हैं कि सरकार से उम्मीद थी कि बजट में आटा, दाल, चावल के दाम में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी सीमा को इस बात की खुशी है कि सौन्दर्य प्रसाधन एवं खिलौने सस्ते होने से उनके घर का बजट गड़बड़ाएगा नहीं। इसके साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं

के लिए रोजगार के नए अवसर खोले गए हैं, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क कम किए जाने से माइक्रोवेब ओवन और वाटर फिल्टर भी सस्ते हो गए हैं। अब तो यह सामान हर घर की जरूरत बन गया है। ऐसे में इसका लाभ सभी को मिलेगा।

रेल बजट में रेलमंत्री ममता बनर्जी ने भी महिलाओं पर ध्यान दिया है। एक तरफ जहां सुरक्षा के लिए महिला बटालियन तैयार होंगी वहीं ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता हो जाएगा। रेलमंत्री की तरह ही वित्तमंत्री ने भी महिलाओं का ध्यान रखा है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही महिला एवं बाल विकास के लिए बजट 50 फीसदी बढ़ा दिया है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना शुरू करने की योजना है। इससे काफी लाभ मिलेगा।

सामाजिक संगठन से जुड़ी डॉ. सरिता कहती हैं कि जागरुकता के तमाम प्रयास के बाद भी अभी भी गांवों में शिक्षा का स्तर काफी कम है। ज्यादातर महिलाएं उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं। सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया जाना सराहनीय कदम है। बजट के अन्य प्रावधानों के बावत वह कहती हैं कि यह बजट पूरी तरह से दूरगामी सोच वाला है। हालांकि महंगाई की मार हर किसी पर पड़ी है। इसलिए लोगों की उम्मीद थी कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लेकिन वह नहीं हो पाई। फिर भी सरकार ने जो प्रावधान किया है, उसका लाभ तो मिलना तय ही है। वह हंसते हुए कहती हैं कि सौन्दर्य प्रसाधन सस्ते किया जाना महिलाओं के लिए उत्साहभरा है।

वहीं खेतों में काम करने वाली महिला रुक्मणी, गीता और रामदेयी आदि बजट से ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं रखती, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि बजट में खिलौने और प्रसाधन सामग्री सस्ती कर दी गई है तो वे कहती हैं कि चलो उनके बच्चों को खिलौना कम पैसे में मिल पाएगा और वे भी प्रसाधन सामग्री खरीदने के बारे में सोचेंगी। हां, उन्हें इस बात का थोड़ा मलाल है कि रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। कुसुम तो लगे हाथ यह भी पूछ बैठती है कि क्या सरकार ने किताबें सस्ती की और मजदूरों के लिए भी कुछ किया है? जब उसे बताया जाता है कि किताबें भी सस्ती कर दी गई हैं और मजदूरों के लिए बीमा का प्रावधान किया जा रहा है तो वह धन्यवाद देती हैं। उसका कहना है कि किताबें सस्ती होने से बच्चों की पढ़ाई का खर्च तो उठा सकेगी।

खिलाड़ियों ने भी सराहा

मंडलीय कबड्डी खिलाड़ी अभय व राहुल का कहना है कि हालांकि इस बार के बजट में खेल–खिलाड़ियों के लिए बीते वर्ष के 3706 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष 3565 करोड़ रुपया कर दिया गया है। लेकिन संतोष की बात है कि इसमें से 2069 करोड़ रुपये आगामी तीन अक्टूबर से होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवंटित किए गए हैं। निश्चित रूप से यह खिलाड़ियों के साथ ही देश के लिए हैं। इसके अलावा बजट में निर्यात किए जाने वाले खेल के सामानों के निर्माण के लिए जरूरी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इससे ग्रामीण इलाके के खिलाड़ियों को भी सहूलियत होगी। क्योंकि अभी तक सामान महंगे होने के कारण ग्रामीण इलाके की तमाम प्रतिभाएं अभ्यास नहीं कर पाती थीं। इसके अलावा रेल बजट में भी ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है, जो सराहनीय है।

कर्मचारियों को टैक्स में मिली और राहत

सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के लाभार्थियों को सरकार ने एक और सुविधा दे दी है। अब उन्हें सीजीएचएस की सुविधा के एवज में उनके वेतन से कटने वाली धनराशि को आयकर मुक्त रखा जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। देश भर में लाखों कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। बजट में प्रावधान किया गया है कि सीजीएचएस के लिए कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती की जाती है, उसे आयकर मुक्त रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1650 रुपये ग्रेड पे वाले कर्मचारी को सीजीएचएस की सुविधा पाने के लिए प्रतिमाह अपने वेतन से 50 रुपये, 1800, 1900, 2400 एवं 2800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को प्रतिमाह 125 रुपये, 4200 ग्रेड पे वाले को 225 रुपये, 4600, 4800, 5400 एवं 6600 ग्रेड पे वाले को 325 रुपये और 7600 एवं उससे ज्यादा ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह अपने वेतन से 500 रुपये कटवाना होता है। इस प्रकार 1650 ग्रेड पे वाले को सालाना 600 रुपये, 1800 से 2800 ग्रेड पे वाले को 1500 रुपये, 4200 ग्रेड पे वाले को 2700 रुपये, 4600 से 6600 ग्रेड पे वाले को 3900 रुपये और 7600 एवं उससे अधिक ग्रेड पे वाले कर्मचारी को सालाना कुल 6000 रुपये पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा और इसे वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

कर्मचारी नेता राम सेवक मीणा का कहना है कि आयकर कटौती का स्लैब बढ़ाए जाने से कुछ राहत तो मिली ही थी, सीजीएचएस के लिए होने वाले कटौती पर आयकर छूट सुविधा मिलने से राहत मिलेगी। इसी तरह कर्मचारी नेता विजय शंकर पांडेय और राम मोहन ने भी टैक्स स्लैब बढ़ाने पर और सीजीएचएस कटौती को आयकर से मुक्त रखने पर खुशी जाहिर की हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से किए गए इस प्रावधान से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में काफी उत्साह है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : skynpr@gmail.com

झींगा पालन की आधुनिक तकनीक

डॉ. जितेन्द्र सिंह

भारत में अभी तक झींगा उत्पादन का कार्य प्राकृतिक रूप से समुद्र के खारे पानी से किया जाता था, लेकिन कृषि में हुए तकनीकी विकास और अनुसंधान के चलते झींगा का सफल उत्पादन मीठे पानी में भी सम्भव हो चला है। देश में लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर मीठे जल क्षेत्र के रूप में जलाशय, पोखरे, तालाब आदि उपलब्ध हैं। इन जल क्षेत्रों का उपयोग झींगा पालन के लिए बखूबी किया जा सकता है। झींगा पालन का कार्य कृषि और पशुपालन के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में किया जा सकता है। इस व्यवसाय से ग्रामीणों को छोटे से जल क्षेत्र से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। खेती संग इस व्यवसाय को अपनाकर खेती को और लाभकारी बनाया जा सकता है।

वर्तमान में देश में झींगा पालन एक बहुत तेजी से बढ़ने वाले व्यवसाय के रूप में उभरा है। पिछले दो दशकों में मत्स्य पालन के साथ–साथ झींगा पालन व्यवसाय प्रति वर्ष 6 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। आज घरेलू बाजार के साथ विदेशी बाजार में झींगा की काफी मांग बढ़ी है। हमारे देश में झींगा निर्यात की भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। व्यवसायिक रूप से झींगा पालन के लिए निम्नवत तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

स्थान का चुनाव व तालाब का निर्माण – सफल झींगा पालन के लिए स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तालाब का निर्माण क्ले सिल्ट या दोमट मिट्टी जिसमें पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो का चुनाव करना चाहिए। तालाब का पानी सभी तरह के प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तालाब की मिट्टी भी हानिकारक तत्वों जैसे–कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आदि से मुक्त होनी चाहिए या फिर इन तत्वों की मात्रा सूक्ष्म स्तर पर होनी चाहिए। व्यवसायिक रूप से झींगा पालन का कार्य छोटे व बड़े दोनों तरह के जल क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सामान्यतः झींगा पालन के लिए 0.50 से 1.50 हेक्टेयर का तालाब पर्याप्त होता है। तालाब की न्यूनतम गहराई 0.75 मीटर का अधिकतम गहराई 1.2 मीटर रखते हैं। तालाब की दीवारों को ढालदार न बनाकर सीधी खड़ी रखना चाहिए। पानी भरने तथा वर्षा का अतिरिक्त पानी निकालने का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। पानी भरने व निकालने के स्थान पर लोहे की जाली का प्रयोग करना चाहिए। झींगा के तालाब में जलीय वनस्पति होना बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि झींगों को दिन में तालाब के किनारे छुपकर आराम करने की आदत होती है।

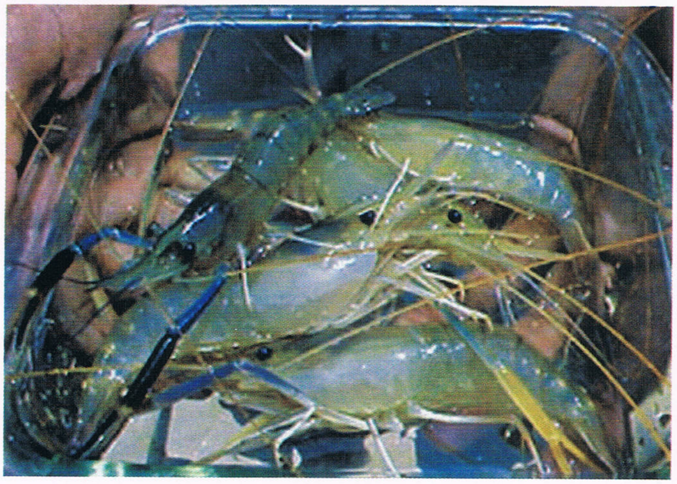

झींगा पालन हेतु तालाब में चूने की मात्रा का निर्धारण

पी.एच. मान	चूने का प्रयोग किग्रा./एकड
5 से 6 पी. एच.	50 किलोग्राम
6 से 7 पी. एच.	30 किलोग्राम
7 से 7.5 पी. एच.	15 किलोग्राम

झींगा पालन हेतु जल की गुणवत्ता का मानक

तापमान	26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड
पी. एच. मान	7.5 से 8.5
आक्सीजन	4 से 10 मि.ग्रा./लीटर
कठोरता	150 मि.ग्रा./लीटर से कम
क्षारीयता	0.25 से 0.75 पी.पी.एम.
फास्फोरस	1 पी.पी.एम. से कम
नाइट्रोजन	1 पी.पी.एम. से कम
कैल्शियम	100 पी.पी.एम. से कम
घुलनशील लवण	300 से 500 पी.पी.एम.
तालाब की गहराई	1 से 1.5 मीटर

तालाब में चूने का प्रयोग – मीठे जल में झींगा पालन के लिए चूने का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूने का प्रयोग तालाब के पानी के पी.एच.मान के आधार पर करना चाहिए। सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चूने का प्रयोग किया जाता है। नये तालाबों में चूना और खाद के प्रयोग के पूर्व मत्स्य विशेषज्ञों से सलाह ले लेना अधिक उपयुक्त होता है।

नर्सरी तैयार करना – एक एकड़ जल क्षेत्र पालन के लिए 0.04 एकड़ जल क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता होती है। नर्सरी तैयार किए जाने वाले तालाब का पूरा पानी निकाल कर अच्छी तरह सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा उत्पादन लेने के लिए तालाब को तब तक सुखाते हैं जब तक कि मिट्टी में दरारें न पड़ जाय। तालाब की मिट्टी को तेज धूप में सुखाने से हानिकारक जीवाणु एवं परजीवी नष्ट हो जाते हैं। तालाब की एक जुताई भी कर देना चाहिए। इसके बाद तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरें। अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए चूना, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए। इसके लिए 20 किलोग्राम चूना, 4 किलोग्राम सुपर फास्फेट एवं 2 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए।

नर्सरी में बीज डालना – एक एकड़ क्षेत्रफल में झींगा पालन के लिए 20 हजार बीज नर्सरी में संचय करना चाहिए। नर्सरी में बीज संचय के पूर्व बीज का अनकूलन कर लेना चाहिए। अनुकूलन के लिए झींगा बीज के पैकेटों के बराबर तालाब का पानी भरकर 15 मिनट तक रखना चाहिए। इसके बाद इन पैकेटों को तालाब के पानी में मुंह खोलकर तालाब में तब तक डुबोये रखे जब तक लार्वा पैकेट से तैर कर पानी में न निकल जाय। पैकेट के पानी और तालाब के पानी का पी.एच.मान एवं तापक्रम में अधिक अन्तर होने पर अनुकूलन अधिक देर तक करना चाहिए। नर्सरी में डाले गए इन लार्वों को लगभग 45 दिनों तक रहने देना चाहिए। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगा में बदल जाते हैं। इतने दिनों में इनका वजन 3 ग्राम तक हो जाता है। नर्सरी में इन शिशु झींगों की जलीय जीव–जन्तुओं से रक्षा भी करनी चाहिए। इसके लिए नर्सरी के चारों ओर जाल घेर देना चाहिए। यदि चिड़ियों से हानि पहुंचने का डर हो तो तालाब के ऊपर भी जाल घेर देना चाहिए।

नर्सरी से तालाब में हस्तान्तरण – जब नर्सरी में शिशु झींगें 3–4 ग्राम तक हो जाएं तो इन्हें पहले से तैयार तालाब में हस्तान्तरित कर देना चाहिए। झींगा पालन के साथ मत्स्य पालन करके इस व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। इसके साथ कतला और रोहू आदि मछली की प्रजातियों का पालन चाहिए। कामन कार्प, ग्रास कार्प, मृगल आदि मछली की प्रजातियों को झींगा के तालाब में संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन कतला के स्थान पर सिल्वर कार्प का संचय किया जा सकता है।

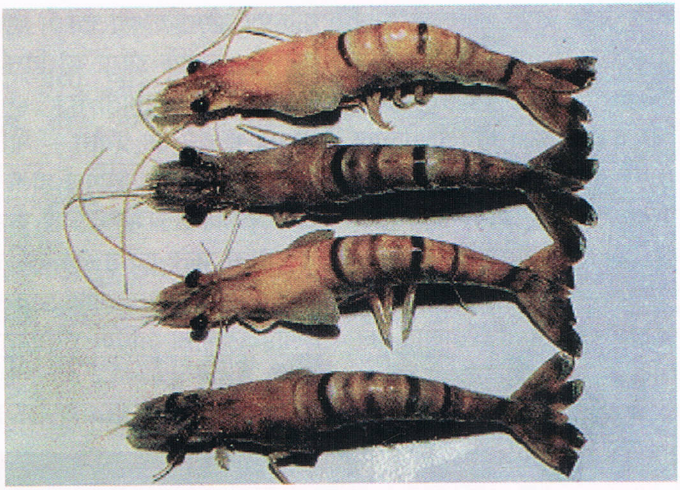

आहार – झींगा सर्व भक्षी स्वभाव का जीव है। अतः जन्तु एवं वनस्पति दोनों का भक्षण करता हैं। झींगें दिन में छिपे रहते हैं। रात्रि के समय भोजन के लिए सक्रिय होकर तालाब में विचरण करते हैं। व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए चूना, खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। झींगों के तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन देना चाहिए। झींगों को भोजन के रूप में 80 प्रतिशत शाकाहारी और 20 प्रतिशत मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। भोजन में 4 फीसदी सरसों की खली, 4 फीसदी राईस ब्रान एवं 2 फीसदी फिशमील देना चाहिए। मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों का चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़खाने का अवशेष दिया जा सकता है। मांसाहार के रूप में छोटी मछलियों को उबाल कर दिया जा सकता है।

आहार की मात्रा – झींगा सर्वभक्षी के साथ–साथ परभक्षी स्वभाव का भी होता है। इसलिए तालाब में आहार की कमी नहीं होने देना चाहिए अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक–दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10 प्रतिशत तक आहार प्रतिदिन देना चाहिए। तालाब में शुद्ध रूप से झींगा पालन के लिए दो माह तक 2 से 3 किग्रा. पूरक आहार प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। इसके बाद 4 से 6 माह तक 4 से 5 किग्रा. प्रति एकड़ की दर से पूरक आहार देना चाहिए। आहार के अतिरिक्त एग्रीमीन 1 प्रतिशत, टैरामाईसीन पाउडर 40 ग्राम एवं एण्टीबायोटिक 2 ग्राम/ सिफालैक्सिन आदि दवाएं भी देना चाहिए। आहार को चौड़े मुंह वाले पात्रों में भरकर तालाब के किनारे कई स्थानों पर रखना चाहिए।

झींगों का शारीरिक भार बढ़ने के साथ–साथ तालाब में आहार की मात्रा को बढ़ाना चाहिए

झींगों का वजन ग्राम में	10 से 12 हजार झींगों के लिए आहार किग्रा. में
3 – 5	2.0 – 3.0
5 – 7	3.0 – 3.9
7 – 11	3.9 – 4.8
11 – 18	4.8 – 5.8
18 – 28	5.8 – 6.2
28 – 45	6.2 – 7.0
45 – 65	7.0 – 7.6
65 – 100	7.6 – 10.0

उचित देख–भाल – कभी–कभी झींगा तालाब में असामान्य लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं जिनका समय से निदान करना आवश्यक होता है। तालाब के बंधों के किनारे अधिक संख्या में झींगों का पाया जाना तालाब के पानी में आक्सीजन की कमी को दर्शाता है। इसके लिए एयरटेल का प्रयोग करे या फिर पंम्पिंग सेट द्वारा तालाब के पानी को कुछ ऊचाई से तालाब में डालें। झींगों की वृद्धि एवं जीविता में पानी का उचित पी.एच. मान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः पानी का वांछित पी.एच.मान को बनाये रखने के लिए उचित मात्रा में चूने का प्रयोग करना चाहिए। तालाब में बीज संचय के 15 से 20 दिन बाद तक शिशु झींगें नहीं दिखाई पड़ने पर भी आहार देते रहना चाहिए। क्योंकि झींगों की वृद्धि दर में काफी अन्तर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त झींगों की कछुआ, केकड़ा, मेढ़क, सांप आदि जलीय जीवों से रक्षा करनी चाहिए।

उत्पादन एवं आर्थिकी – तालाब में डाले गए समस्त लार्वा का लगभग 50 से 70 फीसदी तक झींगें जीवित बचते हैं। यह प्रतिशत उचित देख–रेख और कुशल प्रबंधन पर निर्भर करता है। झींगों की वृद्धि दर एक समान न होकर काफी विविधता पूर्ण होती है। झींगा 50 ग्राम से 200 ग्राम वजन तक बढ़ते हैं। 4 से 5 माह में 50 से 70 ग्राम तक झींगों का वजन बढ़ जाता है। बिक्री के लिए इतने वजन के झींगों को तालाब से निकालना शुरू कर देना चाहिए। 6 से 8 माह में 100 से 200 ग्राम भार तक झींगों की वृद्धि हो जाती है। तालाब में शुद्ध रूप से झींगा का बाजार भाव काफी अधिक होता है। बाजार में 250 रूपया प्रति किग्रा. की दर से बिक्री की जाती है तो 3 लाख रुपये की आमदनी होती है। यदि इससे लागत पूंजी को निकाल दिया जाय, तब भी एक एकड़ जल क्षेत्र से लगभग 2 लाख रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है।

(लेखक उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय में कृषि प्रसार विभाग में प्रवक्ता हैं।)
ई–मेल : drsingh2008.1284@sifymail.com

गन्ने की वैज्ञानिक खेती

जगपाल सिंह मलिक

विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाले देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन में भारत का योगदान 13.3 प्रतिशत जबकि एशियाई देशों में 41.1 प्रतिशत है। वर्तमान में हमारे देश में 300 मिलियन टन गन्ना उगाकर 18.9 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। देश में गन्ने की औसत उत्पादकता लगभग 65 टन प्रति हेक्टेयर है जबकि दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादकता 80-100 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। गन्ने का प्रयोग गुड़, शक्कर व चीनी के अलावा इथेनाल, औषधियों, कागज, शराब एवं अन्य पेय पदार्थों, कार्बनिक खादों, पेंट एवं सह-विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। गन्ने का अंगोला पशुओं के लिए स्वादिष्ट व पौष्टिक चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है।

गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। भारत में शर्करा वाली फसलों में गन्ने की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। हमारे देश में गन्ने की खेती लगभग 41.8 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रान्त हैं। देश के कई राज्यों में गन्ना किसानों की आय के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल बन चुकी है। भविष्य में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और चीनी की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए चीनी का उत्पादन बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा जो भारत देश अब तक चीनी के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ ही निर्यातक भी था। वह भविष्य में दूसरे देशों के आयात पर निर्भर रहने वाला देश बन कर रह जाएगा। अतः सुनियोजित ढंग से गन्ने की फसल में खाद, उर्वरक, सिंचाई व नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाये तो अधिक से अधिक उत्पादन लेकर भरपूर लाभ कमाया जा सकता है।

जलवायु

हमारे देश में गन्ने की खेती विभिन्न जलवायु क्षेत्रों एवं परिस्थितियों के साथ-साथ विभिन्न ऋतुओं में की जाती है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। गन्ने की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए साधारणतया अधिक आर्द्रता, अधिक तापमान एवं चमकीली धूप आवश्यक है। गन्ने में अधिक शर्करा निर्माण के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु भी आवश्यक है। गन्ना उपोष्ण जलवायु परिस्थितियों के कारण शरदकालीन, बसन्तकालीन एवं ग्रीष्मकालीन मौसमों में ज्यादा प्रचलित है। गन्ने के अच्छे विकास के लिए आमतौर पर 25-35 सें.ग्रे. तापमान उत्तम होता है।

खेती की तैयारी

गन्ने की फसल खेत में वर्ष भर रहती है। अतः खेत की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि काफी गहराई तक मिट्टी भुरभुरी हो जाये। इसके लिए पलेवा करने के बाद जैसे ही खेत जुताई की दशा में आये तो प्रथम जुताई 9 इंच की गहराई पर मिट्टी पलटने वाले हल या हैरो से करनी चाहिए। इसके बाद तीन-चार जुताईयां कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें। जिससे खेत को भुरभुरा एवं समतल करने में मदद मिलती है।

बुवाई का समय

हमारे देश में गन्ने की बुवाई सामान्यतः वर्ष में चार बार करते हैं।

बसन्तकालीन बुवाई – बसन्तकालीन गन्ने की बुवाई 15 फरवरी से अन्तिम मार्च तक ही की जाती है। जबकि पूर्वी भारत में बुवाई 15 जनवरी से फरवरी के अन्त तक करते हैं।

ग्रीष्मकालीन बुवाई – ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई सामान्यतः उत्तर-पश्चिम भारत में गेहूं की कटाई उपरान्त 1 अप्रैल से 15 मई तक की जाती है। वैसे इस समय बोये गये गन्ने का अंकुरण शीघ्र व बढ़वार अच्छी होती है।

वर्षाकालीन बुवाई – वर्षाकालीन गन्ने की बुवाई जून से अगस्त माह के मध्य तक की जाती है। यह गन्ना महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बोया जाता है। इस फसल की अवधि 18 महीने की होती है। कटाई दूसरे वर्ष दिसम्बर से जनवरी माह तक की जाती है।

शरदकालीन बुवाई – अक्टूबर माह में बोये गन्ने को शरदकालीन गन्ना कहते हैं। वर्षा ऋतु के बाद उचित नमी व तापमान (25 से 30 डिग्री.सें.) मिलने से इस समय बोये गन्ने का अंकुरण अच्छा होता है। शरदकालीन बुवाई बिहार में ज्यादा प्रचलित है।

उन्नतशील प्रजातियां

गन्ने की प्रजातियों को उनकी आयु, रस में शर्करा की मात्रा तथा परिपक्वता के अनुसार दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

जल्दी पकने वाली प्रजातियां – ये प्रजातियां सामान्यतः 10 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इनके रस में कम से कम 16 प्रतिशत शर्करा होती है। इनमें प्रमुख रूप से को.से. 95435, 95436, 98231, करन-1 (को. 98014), को.शा. 8436, 95255, 96268, 687, 96436, 96237, 98231, सी.ओ.जे. 64, को. पन्त 84211 सम्मिलित हैं।

मध्यम एवं देर से पकने वाली प्रजातियां – गन्ने की ये प्रजातियां 12 से 14 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। इस श्रेणी में को.शा. 8432, 88216, 90269, 21230, 92263, 91248, 86218, 94257, को.पन्त 84212, को.से. 92423, 93232, 93234, 95422, यू.पी. 9529, 9530, को.शा. 94270, 97264, 95222 एवं को.जे. 84 प्रजातियां प्रमुख हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है उन क्षेत्रों के लिए को.से. 96436, यू.पी. 9529 तथा यू.पी. 9530 प्रजातियां लाभकारी पाई जाती हैं।

बीज गन्ना चुनाव

लगभग 8-10 माह की शुद्ध रोग रहित, कीट मुक्त व स्वस्थ फसल जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दिए गए हों। जिसका

गन्ना बहुत पतला न हो, फसल जमीन पर गिरी हुई न हो, को बीज के लिए चुने। बुवाई हेतु ऊपरी 2/3 भाग ही प्रयोग करना चाहिए। इससे जमाव अच्छा व शीघ्र होता है। प्रत्येक कलम में कम से कम दो आंखें होनी चाहिए।

बीज की मात्रा

बीज की मात्रा बुवाई के समय व प्रजातियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 70–75 क्विंटल तथा देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए 60–65 क्विंटल बीज प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होता है। इसके लिए औसतन दो से तीन आंखों वाली 40,000 से 45,000 बीजू टुकड़ों की प्रति हैक्टेयर आवश्यकता होती है। नाली में दो आंखों वाले 10 कलमों को प्रति मीटर की दर से डालें।

बीजोपचार

बाविस्टीन के 0.1 प्रतिशत घोल (112 ग्राम दवा को 112 लीटर पानी) में 4–5 मिनट तक कलमों को डुबाना चाहिए या बीज को रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए एमिसान या मेन्कोजेब के 0.25 प्रतिशत के घोल में बुवाई से पूर्व 4–5 मिनट तक डुबोएं। घोल के लिए 250 से 300 लीटर पानी प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होता है। इससे गन्ने का जमाव भी अच्छा होगा।

बुवाई की विधि

गन्ने की बुवाई की विधि का चुनाव मुख्य रूप से भूमि की किस्म, जल निकास व सिंचाई साधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर निम्न विधियां प्रचलित हैं।

समतल विधि – यह गन्ने की बुवाई का सबसे आसान तरीका है। यह विधि साधारणतया उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा कम होती है तथा जल स्तर काफी ऊंचा होता है। इस विधि में 90 से.मी. के अन्तराल पर 7 से 10 सें.मी. गहरे कूड ट्रैक्टर अथवा हल से बनाकर गन्ने की बुवाई की जाती है। बुवाई के बाद पाटा लगा दिया जाता है जिससे गन्ने के बीज मिट्टी से ढक जाएं तथा भूमि में नमी बनी रहे। इस विधि में कलम से कलम व आंख से आंख के मध्य सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा व कम जमाव होता है।

नाली विधि – यह विधि भरपूर खाद, पानी एवं श्रम की उपलब्धता वाली परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इस विधि में लागत अधिक आती है परन्तु उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। इस विधि में बुवाई के एक माह पूर्व 90 सें.मी. के अन्तराल पर 25 सें.मी. गहरी एवं 25–30 सें.मी. चौड़ी नालियां बना ली जाती हैं। इन नालियों में खाद, उर्वरक डालकर एवं गुड़ाई करके तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन नालियों में गन्ने की बुवाई कर दी जाती है। फसल वृद्धि के साथ मेड़ों की मिट्टी नाली में गिराते रहते हैं जिससे अन्ततः मेड़ों के स्थान पर नाली एवं नाली के स्थान पर मेड़ बन जाती है। इसमें 80–90 प्रतिशत तक जमाव होता है।

रिज एवं फरो विधि – यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां वर्षा सामान्य होती है परन्तु जलनिकास की समस्या होती है। इसमें 90 सें.मी. की दूरी पर 15 से 20 सें.मी. गहरी नालियां बनाई जाती हैं। इसके बाद निश्चित खाद एवं उर्वरक मिलाकर गन्ने की बुवाई की जाती है। इसके बाद गन्ने के बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे खेत पुनः समतल नजर आता है।

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

गन्ने की फसल वर्ष भर खेत में खड़ी रहती है। अतः खाद एवं उर्वरक प्रबंध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः 100 टन गन्ना पैदा करने हेतु मृदा से 208 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 53 कि.ग्रा. फास्फोरस, 280 कि.ग्रा. पोटेशियम, 3.4 कि.ग्रा. लोहा, 1.2 कि.ग्रा. मैंगनीज, 0.6 कि.ग्रा. जिंक तथा 0.2 कि.ग्रा. तांबा का दोहन होता है। लम्बे समय तक पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु जैविक खादों का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य सुधारने, सूक्ष्म जीवाणुओं की

संख्या बढ़ाने, मृदा ताप नियन्त्रित करने और मृदा नमी संरक्षित करने में भी जैविक खादों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके लिए गोबर की खाद, हरी खाद, कम्पोस्ट, फसल अवशेषों व प्रैसमण्ड का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त खादों का प्रयोग गन्ने की बुवाई से लगभग एक माह पूर्व खेत में अच्छी तरह बिखेरकर किया जाना चाहिए। इसके अलावा गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए 150 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर आवश्यक है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा को बुवाई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर क्रमशः कल्ले फूटने के समय व जुलाई के पूर्व टाप ड्रैसिंग के रूप में डालकर गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग फसल में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद दिए गए नाइट्रोजन उर्वरकों का फसल की उपज एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जुलाई के बाद नाइट्रोजन उर्वरक देने से पौधों में पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। साथ ही गन्ने के रस में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने में रेशे की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। मृदा परीक्षण के आधार पर यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो बुवाई के समय 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि फास्फोरस की मात्रा डी.ए.पी. से दे रहे हैं तो तीन वर्ष में एक बार गन्धक का चूर्ण 250 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाना चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन एवं जल निकास

गन्ने की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अतः गन्ने की खेती उन्हीं क्षेत्रों में करनी चाहिए जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। गन्ने के अंकुरण अवस्था, कल्ले फूटने और बढ़वार के समय मृदा में पर्याप्त नमी होना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के दिनों में 15–20 दिनों के अन्तराल पर एवं वर्षा ऋतु में लगातार बारिश न होने पर 20 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में गन्ने के खेत से आवश्यकता से अधिक पानी का निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना सिंचाई देना। अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहने से उसमें वायु संचार एवं लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता घट जाती है। साथ ही पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और फसल सड़कर सूख जाती है।

खरपतवार नियंत्रण

बुवाई के 15 से 20 दिन बाद गन्ने के खेतों में एक बीज पत्री व द्विबीज पत्री खरपतवार पनपने लगते हैं। इनका प्रकोप जून–जुलाई तक बना रहता है जिससे गन्ने की वृद्धि, विकास और पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे गन्ने की पैदावार में लगभग 10–40 प्रतिशत तक की कमी आ जाती है। यह फसल में खरपतवारों की सघनता और उनके प्रकार पर निर्भर करती है। इन खरपतवारों में बथुआ, खरबथुआ, कृष्णनील, गजरी, दूबघास व हिरणखुरी प्रमुख हैं। वर्षा ऋतु में घासकुल के खरपतवार पनपने लगते हैं। इनमें दूबघास, मकरा, जंगली चौलाई एवं कांटेदार चौलाई मुख्य हैं। इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए समय–समय पर फसल की गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे गन्ने के पौधों की जड़ों में नमी व वायु संचार में भी मदद मिलती है। गुड़ाई प्रत्येक सिंचाई के बाद बरसात शुरू होने तक की जा सकती है। आजकल मजदूरों की कम उपलब्धता और उनकी मजदूरी अधिक होने के कारण खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए बहुत से शाकनाशी बाजार में उपलब्ध हैं। शाकनाशी द्वारा खरपतवारों को नियन्त्रण करने हेतु गन्ने की बुवाई के 50–60 दिन बाद 1 कि.ग्रा. 2,4–डी/है. की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। इससे सम्पूर्ण चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जायेंगे। इसके अलावा एट्राजिन सक्रिय तत्व 1 कि.ग्रा./है. की दर से 500–600 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना जमाव से पहले छिड़काव करने से खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। छिड़काव के समय

मृदा में पर्याप्त नमी हो तथा तेज हवा न चल रही हो।

सहफसली खेती

गन्ने की फसल बुवाई के लगभग एक वर्ष बाद ही आय देती है। ऐसी स्थिति में गन्ने की फसल के साथ अन्य फसलों की सहफसली खेती अपनाना आवश्यक है। ऐसा करने से किसान भाईयों को फसल के मध्य में अतिरिक्त आय मिलेगी जो न केवल पारिवारिक आवश्यकताओं जैसे खाद्य, दलहन, तिलहन और चारा की आवश्यकता की पूर्ति करेंगी बल्कि गन्ने की फसल में आने वाले खर्चों की भी आपूर्ति करेगी। इसके साथ ही गन्ने की एकल फसल से उत्पन्न दुष्प्रभावों को भी कम करेगी। बसंतकालीन गन्ने की दो लाईनों के बीच में उर्द, मूंग, लोबिया की एक–एक पंक्ति बोना चाहिए। इससे किसान भाई प्रति इकाई क्षेत्र से अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान भाई सह फसलों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फसल शीघ्र पकने वाली, कम फैलने वाली, सीधी बढ़ने वाली तथा गन्ने की तरह ही पानी चाहने वाली हो। इसी प्रकार शरदकालीन गन्ने का अंकुरण व फुटाव धीमा होने के कारण इसकी बढ़वार शुरू के तीन–चार महीने तक न के बराबर होती है अर्थात् गन्ने का पौधा इस अवधि में सुषुप्तावस्था में रहता है। इन दिनों में रबी की कई अन्य फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, आलू, लहसुन, मटर, राजमा, फूलगोभी, प्याज या अन्य कोई सब्जी की शीघ्र पकने वाली फसल गन्ने की दो पंक्तियों के बीच बोई जा सकती हैं। इसके अलावा गेंदा व गन्ना की सहफसली खेती भी की जा सकती है। इस प्रकार गन्ने की अकेली फसल की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई समय में अधिक उपज व अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सहफसली खेती में उचित प्रजाति का चुनाव, समय पर बुवाई, उचित खाद व सिंचाई प्रबंधन अतिआवश्यक है।

मिट्टी चढ़ाना एवं बंधाई

जड़ों की पूर्ण वृद्धि व विकास के लिए तथा बरसात के दिनों में फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों के दोनों ओर मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जून–जुलाई के महीनों में अंतिम निराई–गुड़ाई के समय पर्याप्त मिट्टी चढ़ाकर गन्ने को गिरने से बचाकर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। गन्ना अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है इसलिए इसका गिरना स्वाभाविक है। गन्ने की फसल के गिरने से इसकी उपज व गुणवत्ता में कमी हो जाती है। साथ ही गन्ने के गिरने से पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है जिससे इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगस्त–सितम्बर में तेज हवा चलने के कारण कभी–कभी मिट्टी चढ़ा गन्ना भी गिर जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 8–10 गन्नों को एक साथ जमीन से एक मीटर की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों से बांध देते हैं जिससे गन्ना गिरता नहीं है।

कीट प्रबंधन

गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों में दीमक, सफेद लट, तनाभेदक, जड़ भेदक, चोटी भेदक, पायरिला तथा काला चिटका प्रमुख हैं।

दीमक – दीमक बहुभक्षी कीट होने के कारण गन्ने की फसल का सबसे बड़ा शत्रु है। यह वर्ष भर पौधों को हानि पहुंचाती रहती है। दीमक पौधों की जड़ों को काट देती है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और अन्ततः पौधे सूख जाते हैं। दीमक से बचाव हेतु – खेतों में गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फसल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए जिससे दीमक के प्राकृतिक शत्रु चिड़िया इत्यादि इन्हें खाकर नष्ट कर देती है, क्लोरोपाइरीफोस 20 ई.सी. के 0.5 प्रतिशत घोल में गन्ने की कलमों को डुबोकर बोयें।

सफेद लट – यह सफेद रंग के छोटे कीट होते हैं। इनका रंग मटमैला होता है। यह कीट पौधे की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं जिसके परिणामस्वरूप पौधा सूख जाता है। इससे बचाव हेतु ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। फोरेट (10 प्रतिशत दाने) 10 कि.ग्रा./है. की दर से खेत में अन्तिम जुताई के समय मिलाना चाहिए।

तना बेधक – इसे गन्ने की सूंडी कहते हैं। इसका प्रकोप ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसके प्रकोप से पौधे के ऊपर वाली पत्तियां सूख जाती हैं। यह सूंडी जमीन के पास छेद करके पौधों को खाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस कीट से बचाव हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, ग्रीष्मकालीन जुताई करें और सूखी व प्रभावित पत्तियों को खेत में जला दें।

पायरिला – इस कीट का प्रकोप अप्रैल से नवम्बर के मध्य होता है। यह पत्तियों का रस चूसता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा शर्करा की कमी हो जाती है। फसल पर अधिक प्रकोप होने पर 400 से 600 मि.ली. एण्डोसल्फान 35 ई.सी. का छिड़काव करें या क्वीनालफास 0.80 लीटर/है. को 625 लीटर पानी में मिलाकर ग्रीष्मकाल में छिड़काव करें।

सफेद मक्खी – इस कीट का वयस्क सफेद रंग का होता है जबकि निम्फ कीट काले रंग के होते हैं। दोनों ही गन्ने का रस चूसते हैं जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अन्ततः पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह प्रकोप अगस्त से नवम्बर के बीच होता है इससे बचाव हेतु सूखी पत्तियों को खेत में जलाएं व उचित फसल चक्र अपनाएं। अधिक प्रकोप होने पर 800 मि.ली. मिथाईल डेमेटान को 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मोनोक्रोटोफोस 35 ई.सी. 1 लीटर दवा का छिड़काव करें।

प्रमुख बीमारियां

वैसे तो गन्ने की फसल में अनेक बीमारियां लगती हैं परन्तु कवक जनित चार प्रमुख बीमारियां ही गन्ने की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें लाल सड़न रोग, म्लानि या उकठा रोग, कण्डुआ व गन्ने का पर्ण चित्ती रोग है। ये सभी बीमारियां बड़ी घातक हैं। भारत में ये बीमारियां सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कभी–कभी इन बीमारियों की वजह से हजारों हैक्टेयर गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है। इन बीमारियों के कारण गन्ने के उत्पादन में लगभग 10–12 प्रतिशत तक ही हानि आंकी गई है। इन रोगों से सामान्यतः बरसात के बाद गन्ने की बढ़वार रुक जाती है जिसका शर्करा संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त रोगों से बचाव हेतु रोगरोधी संस्तुत प्रजातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, गन्ने का बीज स्वस्थ एवं निरोग होना चाहिए, जिस खेत में इन बीमारियों का संक्रमण हो उस खेत में गन्ने की फसल नहीं लेनी चाहिए तथा कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं, खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें जिससे फसल स्वस्थ एवं रोग को सहन करने की क्षमता पैदा हो सके, सक्रंमित खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। गन्ने के बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसके लिए इमीसान–6 की 250 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में या कारबेन्डाजीन की 100 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में घोलकर कम से कम 10 मिनट तक कलमों को उपचारित करके बोना चाहिए। इससे गन्ना की कलमों में उपस्थित रोगजनक के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

कटाई

उत्तर भारत में गन्ने की कटाई नवम्बर से लेकर मार्च तक की जाती है। इस समय गन्ने में चीनी की मात्रा सर्वाधिक होती है। चीनी की मात्रा हैण्डरिफ्रेक्टोमीटर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यदि इस यंत्र का अंक 20 या इससे अधिक हो तो समझ लेना चाहिए कि फसल पककर तैयार है। कटाई जमीन से मिलाकर करें। अच्छी पेड़ी की फसल लेने हेतु गन्ने की कटाई फरवरी–मार्च में करनी चाहिए। कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करें इससे फुटाव अच्छा होता है। फसल की समय पर कटाई करना स्वयं किसान के, चीनी मिलों के एवं राष्ट्रहित में लाभकारी होगा।

उपज

फसल की उचित देखभाल व उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने पर किसान भाई उत्तर भारत में गन्ने की उपज लगभग 800–1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा दक्षिण भारत में 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी हैं)
ई. मेल : jpmalik@yahoo.com.co.in

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

गुणों की खान है नमक

डॉ.डी.डी. ओझा

नमक में शरीर में उपस्थित तरल द्रव्य के स्तर को संतुलित रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है क्योंकि तरल द्रव्य का आयतन सीधा उसमें मिश्रित नमक की मात्रा पर निर्भर करता है। यही नहीं नमक के माध्यम से शरीर में आयोडीन पहुंचाकर आयोडीन की दैनिक मात्रा की पूर्ति संभव है। आयोडीनयुक्त नमक तथा साधारण नमक देखने और खाने में समान गुण रखते हैं। अंतर मात्र यही है कि आयोडीनयुक्त नमक में पोटाशियम आयोडेट के रूप में मिलायी गई थोड़ी-सी आयोडीन हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती है। नमक की न्यूनता तथा अधिकता दोनों ही शरीर के लिए रोगकारक होती हैं।

संभवतः नमक प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जिसकी जरूरत न केवल मानव वरन् मवेशियों को भी होती है। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीव–जंतुओं का विकास सागर के लवणीय जल में ही हुआ। अतः नमक, पृथ्वी के प्राणियों की एक बुनियादी आवश्यकता है।

नमक, फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा में इसे लवण कहते हैं। इसी से लोण, लोना, लोनी, लोनिया आदि शब्द बने हैं। नमक के विभिन्न भाषाओं में नाम भी अलग–अलग हैं। यथा–बंगला–निमोक या नून; मराठी–मीठ; गुजराती–मिठु; तमिल, कन्नड–उप्पू; राजस्थानी लूण। नमक से संबंधित शहरों के नाम तथा मुहावरे भी हमें सुनने को मिलते हैं। बिना नमक के भोजन भी स्वादहीन लगता है।

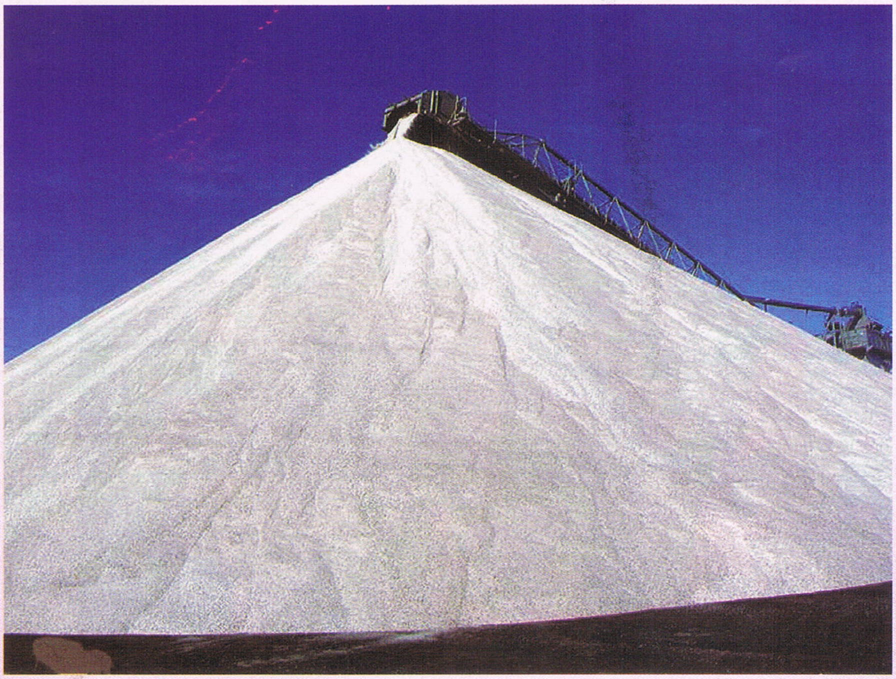

लवण या नमक को मूल्यवान एवं उपयोगी वस्तु माना गया है। वैदिक साहित्य में अर्थववेद में नमक के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। जहां इसे गंडमाला के निवारण के लिए उपयोगी बताया गया है। महर्षि पाणिनी ने लवण को एक पण्य वस्तु बताया है और इसका व्यापार करने वाले को लावणिक कहा गया है। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में सैंधव सेंधा, सामुद्रक, (समुद्री जल से बना), पवित्रम (पाक द्वारा बनाया गया), सौवर्चल, यवक्षार आदि कई प्रकार के लवणों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि मौर्यकाल में नमक के उत्पादन और वितरण पर नियत्रंण रखने के लिए लवणाध्यक्ष नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि नमक उत्पादन के लिए शासन से अनुज्ञापत्र भी प्राप्त करना पड़ता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर के विरोध में सन् 1930 ई. में नमक सत्याग्रह रूपी जनांदोलन किया। इसके फलस्वरूप ही भारतवासियों को नमक पर राहत मिली।

नमक उत्पादन करने वाले देशों में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टन से भी अधिक नमक का उत्पादन होता है। हमारे देश में सर्वाधिक नमक गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में उत्पादित होता है। नमक, जिसे रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड

कहते हैं, एक विशिष्ट स्वादवाला, मृदु एवं अत्यधिक जलविलेय यौगिक है। इसमें 39.4 प्रतिशत सोडियम और 60.6 प्रतिशत क्लोरीन होती है। नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ही यह आर्द्रता या नमी का अवशोषण करता है। नमक की उपस्थिति में बैक्टीरिया तथा कवक भी नहीं पनपते हैं, इस कारण इसे मक्खन, पनीर आदि खाद्य पदार्थों में दुर्गंधनाशक के रूप में मिलाया जाता है। नमक मृतजीवों की सड़ांध को भी रोकता है, एतदर्थ इससे कुछ समुदाय के लोग शव को जमीन में गाड़ते समय उपयोग करते हैं। नमक विद्युत का कुचालक होता है।

कुछ खाद्य पदार्थों–मांस, अंडा, दूध, दुग्ध पदार्थों, सब्जियों, अनेक दवाइयों में प्रचुर मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अतः भोजन में यदि नमक का सेवन नहीं किया जाता तो भी सामान्य परिस्थितियों में शरीर में सोडियम की कमी होने की आशंका नहीं रहती है।

सोडियम, क्लोराइड तथा कैल्शियम कोशिकाओं के बाहय द्रव और पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट कोशिकाओं के आंतरिक द्रव के प्रमुख तत्व होते हैं। रक्त में सोडियम का स्तर लगभग 140 मिली प्रति लीटर होता है। रक्त और कोशिकाओं के बाहय द्रव में इसके स्तर का सामान्य बने रहना अति आवश्यक है। रक्त में इसके स्तर को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ हार्मोनों की सहायता से रक्त में सोडियम के स्तर को गुर्दे नियंत्रित करते हैं तथा जब किसी कारणवश रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ने लगता है, तो गुर्दों द्वारा सोडियम की अतिरिक्त मात्रा को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में भोजन के द्वारा जितना सोडियम शरीर में पहुंचता है, लगभग उतना ही मूत्र के द्व ारा शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार रक्त और शरीर में सोडियम का संतुलन बना रहता है।

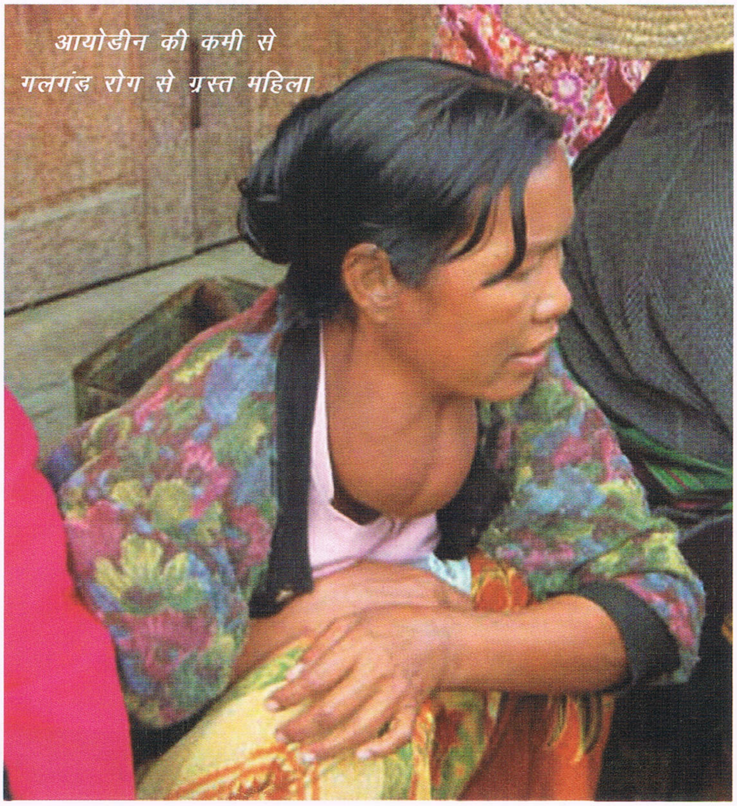

आयोडीन की कमी से गलगंड रोग से ग्रस्त महिला

नमक के उपयोग – भावनगर स्थित सीएसएमसी आरआई संस्थान ने समुद्री जल से नमक उत्पादन कर लेने के पश्चात् बचे हुए बिटर्न से जो रसायन प्राप्त किए हैं उनमें एक प्रमुख रसायन है ब्रोमीन। ब्रोमीन का उपयोग दवाओं, रंगों, फोटोग्राफी के रसायनों, कीटनाशकों तथा अग्निशामकों में होता है। बिटर्न से 34.5^0 बॉमे पर मैग्नीशियम सल्फेट (एप्सम सॉल्ट) प्राप्त होता है। यह एक मृदु विरेचक और एकमात्र जलरेचक है। आजकल इसका उपयोग कपड़ों की रंगाई और चर्म उद्योग में होता है। नमक का उपयोग आहार, औषधोपचार और उद्योगों में होता है। मानव और पशुधन के पोषण तथा शारीरिक क्रिया के लिए भी नमक बहुत आवश्यक होता है।

नमक की खपत देश की औद्योगिक प्रगति का मेरुदंड भी कही जा सकती है। नमक का सबसे अधिक उपयोग क्षार बनाने वाले कारखानों में कच्चे माल के रूप में होता है। धोने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन आदि कई रसायनों के निर्माण का आधारभूत पदार्थ भी नमक ही है।

चमड़ा–पकाने, कपड़ों की रंगाई व छपाई, कागज निर्माण आदि अनेकानेक उद्योगों में नमक का बहुतायत से उपयोग होता है।

आयोडीन युक्त नमक जरूरी – मानव शरीर में आयोडीन सूक्ष्ममात्रिक तत्व है जिससे मूलतः अवटुग्रंथि या थाईरॉइड की क्रिया प्रभावित होती है। यदि मानव को प्रतिदिन के भोजन में पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलती है तो उसकी थाईरॉइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और वह गले पर बाहर की ओर फूलकर गलगंड रोग बन जाता है। भारत में करोड़ों व्यक्ति आयोडीन न्यूनता से प्रभावित हैं।

मानव शरीर के लिए प्रतिदिन लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। नमक जैसी सस्ती चीज के माध्यम से इतनी आयोडीन सुविधा से शरीर में पहुंचायी जा सकती है। शिशुओं में आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि होने की संभावना बनी रहती है। आयोडीन की कमी से जनन क्षमता में मंदता का प्रभाव और बौनापन निर्विवाद नहीं है। आयोडीन

की आवश्यकता हमारे गले में सामने की ओर श्वास नली में ऊपर स्थित थायरॉइड नामक ग्रंथि में थायरॉइड हारमोन बनाने के लिए होती है। हारमोन की पर्याप्त उपलब्धता पर हमारे शरीर का शारीरिक एवं मानसिक विकास निर्भर करता है। इस हारमोन की कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिनका प्रभाव हमारी भावी संतति पर भी हो सकता है। थायरॉक्सिन की कमी से केश, नाखून, त्वचा तथा दांत इत्यादि भी कमजोर हो जाते हैं। अत्यधिक दुष्प्रभाव के रूप में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि और धमनीजन्य हृदय रोग भी हो सकते हैं।

उपर्युक्त विकारों से बचने तथा स्वस्थ शरीर के लिए यह आवश्यक है कि शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। आयोडीन को किसी अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर के लिए जरूरी 90 प्रतिशत आयोडीन की पूर्ति भोजन तथा जल से होती है। यह प्रेक्षित किया गया है कि यदि नमक में उचित मात्रा में आयोडीन मिला दी जाए तो हर व्यक्ति को आवश्यकतानुसार आयोडीन स्वतः ही मिल सकती है।

नमक में, शरीर में उपस्थित तरल द्रव्य के स्तर को संतुलित रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है क्योंकि तरल द्रव्य का आयतन सीधा उसमें मिश्रित नमक की मात्रा पर निर्भर करता है। चूंकि शरीर में नमक की मात्रा स्थित रहती है, अतएव रक्त का आयतन तथा अन्य तरल तत्व भी स्वतः नियंत्रित होते रहते हैं। यही नहीं नमक के माध्यम से शरीर में आयोडीन पहुंचाकर आयोडीन की दैनिक मात्रा की पूर्ति संभव है। आयोडीनयुक्त नमक तथा साधारण नमक देखने और खाने में समान गुण रखते हैं। अंतर मात्र यही है कि आयोडीनयुक्त नमक में पोटाशियम आयोडेट के रूप में मिलायी गई थोड़ी-सी आयोडीन हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती है। आयोडीन की आवश्यक मात्रा को ग्रहण कर अनावश्यक आयोडीन को हमारा शरीर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है।

आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग आयोडीन की कमी को दूर करने का सबसे सुविधाजनक, सरल और सस्ता उपाय है। देश के कई सरकारी एवं निजी उत्पादक आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन कर रहे हैं। इस दिशा में केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर ने आयोडीकरण के लिए सरल विधि विकसित की है जिसमें खर्चीली मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी संस्थान ने नमक की शुद्धता, उसमें आयोडीन की मात्रा की शुद्धता तथा आयोडीन की मात्रा की जांच के लिए अनेक प्रकार के किट भी विकसित किए हैं।

रक्त में नमक की कमी व अधिकता से रोग – नमक की न्यूनता तथा अधिकता दोनों ही शरीर के लिए रोगकारक होती हैं। हमारे रक्त में जब सोडियम का स्तर 135 मिली मोल प्रतिलीटर से कम हो जाने से कोशिकाओं के अंदर अधिक मात्रा में जल पहुंचने के कारण वे फूल जाती हैं। फलतः शरीर में रक्त कोशिकाओं के बाह्य द्रव में कमी के कारण समस्याएं होती हैं। इस स्थिति को हाइपोनेट्रिमिया कहते हैं। इससे सिरदर्द, थकावट एवं मानसिक विभ्रमता की स्थिति कभी-कभी बन जाती है। इस रोग में मूत्र में सोडियम अधिक मात्रा में स्रावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में रोगी को अधिक मात्रा में नमक देना चाहिए तथा जल की कम मात्रा देनी चाहिए।

इसके विपरीत रक्त में सोडियम का अधिक स्तर यानी 145 मिली. मोल प्रति लीटर से अधिक होने पर कोशिकाओं का जल बाहर निकलने लगता है, जिससे वे सिकुड़ने लगती है। रोगी के हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं। तथा मानसिक क्षमता कम होने लगती है। कई बार पसीना अधिक आने पर पसीने में सोडियम कम हो जाता है। यह अवस्था "हाइपरनेट्रिमिया" कहलाती है।

सोडियम शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व है। इसके शरीर में कम या अधिक होने के गंभीर परिणाम होते हैं। नमक कम मात्रा में सेवन करने से रक्तचाप कम हो सकता है। तथा अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ाने से रक्तचाप सामान्य हो जाता है। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप के रोगियों को कम मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। गरमी के मौसम में जिन व्यक्तियों को अत्यधिक पसीना आता है अथवा खेलने वाले व्यक्तियों को नमक कुछ अधिक मात्रा में लेने से सोडियम की कमी से बचा जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक हैं।)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजें।

सफलता की कहानी

गोभी की फसल में नवाचार करता किसान

ओम मिश्रा

जगदीश प्रसाद उर्फ गोभी वाला विगत 40 वर्षों से जैविक खेती के साथ अपने खेत में तैयार बीज का प्रयोग ही करते हैं। फसल में रोग तथा कीट नियंत्रण के लिए भी आधुनिक रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम, आक के पत्ते, नीला थोथा, चूने आदि से निर्मित देशी दवाओं का इस्तेमाल कर कृषकों को जैविक खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं करने के कारण उनके खेत में प्रति वर्ग मीटर तीन सौ से पांच सौ केंचुए हैं जो कंपोस्ट को अच्छी खाद में बदल देते हैं।

साठ वर्षीय जगदीश प्रसाद ने चौबीस साल पहले सन् 1985 में नौ किलो वजन की फूलगोभी का रिकार्ड उत्पादन किया था, बस फिर क्षेत्र में और नया करने के लिए वह पूरी निष्ठा के साथ जुट गए। वर्ष 2001 में 11 किलो वजन की गोभी का उत्पादन किया जो उसी वर्ष लिम्का बुक में दर्ज किया गया। उनके 12 किलो वजन के गोभी के इस अनूठे रिकार्ड उत्पादन को गिनीज बुक में भी दर्ज करने की कार्यवाही चल रही है; इसका आवेदन गिनीज बुक में स्वीकार किया जा चुका है।

जगदीश प्रसाद द्वारा विकसित 'अजीतगढ़ सलेक्शन' फूलगोभी की किस्म कम जगह तथा कम सिंचाई में अधिक रिकार्ड उत्पादन देने के कारण कृषकों द्वारा पसंद की जा रही है। अजीतगढ़ सलेक्शन किस्म से एक हेक्टेयर कृषि भूमि में 50 टन फूलगोभी की उपज होती है, जो अन्य गोभी किस्मों से बहुत ज्यादा है।

इसके अलावा इस किस्म में गोभी के साथ चारा भी काफी होता है, जो कृषकों को अतिरिक्त आय देता है। कम समय में अधिक रोगों तथा कीटों के प्रति भी सहनशील है। अतः कीटनाशकों पर व्यय होने वाली राशि भी न्यूनतम रहती है। यही वजह है कि जगदीश प्रसाद को कृषक गोभीवाला के नाम से ही जानते–पहचानते हैं।

हायर सैकण्डरी तक शिक्षित जगदीश ने गोभी के अतिरिक्त सब्जियों की कई स्थानीय किस्में भी तैयार की हैं। इनमें मिर्ची, लौकी, मूली, कद्दू, तौराई, बैंगन, बंदगोभी (पत्तागोभी) की जैविक तरीके से विकसित कई किस्में हैं। इनमें मिर्ची के एक पौधे पर 140 से 150 तक मिर्ची, 15 किलो वजन की मूली, तीन किलो का गोल बैंगन, 85 किलो का कद्दू, सात फुट लम्बी तौराई, एक मीटर लम्बा बैंगन, छः फीट लम्बी लौकी, 8 किलो का पत्तागोभी प्रमुख हैं।

जगदीश प्रसाद गोभीवाला की इस प्रयोगधर्मिता को सभी ने सराहा है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के अतिरिक्त अन्य देशों के कृषि वैज्ञानिकों ने भी उनके खेत एवं उनकी फसल उत्पादन प्रक्रिया को गहनता से समझा और जाना है। राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यशालाओं में उन्होंने अपने अनुभवों को कृषकों तथा वैज्ञानिकों को विस्तार से बताया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कृषि मंत्री, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों द्वारा भी उनके कृषि नवाचार को सराहा गया है। पंचायत, जिला

लिम्का बुक में 12 किलो वजन की फूलगोभी उगाने वाले कृषक के रूप में राजस्थान के अजीतगढ़ गांव के निवासी जगदीश प्रसाद पारीक का नाम दर्ज है। जगदीश ने यह कारनामा केवल रिकार्ड बनाने के लिए नहीं किया बल्कि वह विगत 38 वर्षों से फूलगोभी की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं और इन प्रयोगों के चलते ही उन्होंने 'अजीतगढ़ सलेक्शन' नाम की फूलगोभी की एक ऐसी अनूठी किस्म विकसित की है जो फूलगोभी के वजन के हिसाब से तो अनोखी है ही, साथ ही एक हेक्टेयर क्षेत्र में 50 टन गोभी का रिकार्ड उत्पादन देकर कृषकों को अधिक आर्थिक लाभ देने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं इस किस्म की गोभी के उत्पादन पर अधिक चारा मिलता है और गोभी की खेती की सिंचाई में पानी भी कम लगता है।

संभाग, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रयोगधर्मिता को अनेक पुरस्कारों तथा सम्मानों से नवाजा गया है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा भी तीस से अधिक बार उन्हें किसानों से रूबरू कराकर उनके अनुभवों को कृषकों ने जाना है। जगदीश प्रसाद गोभी व अन्य सब्जियों के 50 से 60 किलो बीज तैयार कर नवाचार में पहल करने वाले कृषकों को बहुत ही साधारण कीमत पर उपलब्ध भी करा रहे हैं।

सीकर जिले के अजीतगढ़ गांव में 4 फरवरी, 1949 को जन्में जगदीश 40 वर्ष से कृषि व पशुपालन कार्य से जुड़े हुए हैं। अनेक कृषि प्रशिक्षण भी उन्होंने लिए हैं। प्रारम्भ से ही खेती में जैविक खाद का प्रयोग करने वाले जगदीश प्रसाद अपनी जैविक खेती की जानकारी अनेक किसानों, कृषि अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों के दलों को दे चुके हैं। उनके खेत पर प्रतिवर्ष औसतन 10 से 15 दल अधिकारियों/वैज्ञानिकों के तथा 15 से 20 दल किसानों के भी आते हैं जो उनके द्वारा तैयार गोभी की किस्म तथा जैविक खेती के बारे में उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं।

फूलगोभी के रिकार्ड उत्पादन तथा नई किस्म विकसित करने के बारे में वह कहते हैं कि "बारह किलो वजन की गोभी उगाना सहज लगता जरूर है लेकिन है नहीं, इसके लिए मैनें वर्षों तक प्रयोग पर प्रयोग किए हैं। खेत ही मेरी प्रयोगशाला है। मैं जैविक खाद के साथ सब्जियों पर प्रयोग तथा शोध करता रहा हूं। वर्ष 1985 में 9 किलो वजन की गोभी की रिकार्ड उपज की तो वर्षों बाद 12 किलो वजन की गोभी तैयार हो सकी है। यदि यह सहज होता तो एक वर्ष बाद ही 1986 में 12 किलो की गोभी ले लेता। पर ऐसा संभव नहीं था। मेरे द्वारा विकसित अजीतगढ़ सलेक्शन गोभी किस्म 12 किलो वजन की गोभी के अलावा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कम कृषि भूमि में, कम सिंचाई के द्वारा अधिक फूलगोभी की फसल ली जा सकती है। इतना ही नहीं ये फसल रोगों तथा कीटों के प्रभाव से भी काफी हद तक मुक्त है। अतः कीटानाशकों पर धन व्यर्थ नहीं होता है।"

जैविक खेती के बारे में वह कहते हैं कि "हमारे देश में जैविक खेती ही किसानों के लिए फायदेमंद है, इससे फसल अच्छी होती है तथा रासायनिक खादों को खरीदने का पैसा भी बचता है। केंचुए द्वारा निर्मित बर्मी कंपोस्ट खाद खेत की जमीन तथा

लेने के लिए हमेशा तैयार रहें।

पानी के अंधाधुंध उपयोग के बारे में जगदीश प्रसाद गोभीवाला बहुत चिंतित दिखते हैं। वह कहते हैं कि "हमें पानी को बचाना होगा। किसान को लम्बे समय तक खेती करने के लिए पानी के व्यर्थ दोहन से बचना जरूरी है। यदि पानी की बर्बादी इसी तरह होती रही तो बाद में पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए खेती में पानी की बूंद-बूंद का उपयोग किया जाना चाहिए। ओपन वैल को बरसात के पानी से रीचार्ज करने के प्रति कृषकों को जागरूक रहना जरूरी है। यदि पानी का अभी से समझदारी-पूर्ण उपयोग किया जाएगा तो पानी के संकट को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

फसलों के लिए काफी उपयोगी होती है। भारतीय परिवेश की खेती के लिए वर्षों से जैविक खाद ही सर्वोत्तम मानी जाती रही है। बीच में जो कृषक दिग्भ्रमित होकर रासायनिक खादों की तरफ गए थे, वे भी रासायनिक खादों द्वारा भूमि की उर्वरक शक्ति को धीरे-धीरे नष्ट कर देने के कारण वापस जैविक खेती को अपनाने लगे हैं।"

जगदीश कृषकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान के महत्व को स्वीकारते हुए कहते हैं कि "दुनियाभर में कृषि विषयक अनेक शोध कार्य हो रहे हैं। उनकी जानकारी प्रशिक्षण आदि के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। कृषकों को कृषि नवाचार करने वाले कृषकों से मिलकर फसल उत्पादन की व्यावहारिक बातों की जानकारी मिलती है। नवीन नवाचारों का पता भी सेमिनारों तथा प्रशिक्षणों से ही चल पाता है।"

कृषकों को इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी कृषक सही मायनों में कृषि से कम लागत से अधिक फायदा ले सकेगा।

कृषकों को कृषि विषयक सलाह देने के लिए सदैव तत्पर जगदीश पारीक कहते हैं कि "ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह तो जितना लो उतना ही कम है। अपने कृषि अनुभवों को मैं दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। साथ ही उन्हें यह सलाह भी देता हूं कि प्रशिक्षण को कभी नजरअंदाज न करें बल्कि जब भी जहां भी मौका मिले, प्रशिक्षण

हमारे आगामी अंक

मई, 2010 – बिन पानी सब सून
जून, 2010 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण
जुलाई, 2010 – खेती का बदलता स्वरूप
अगस्त, 2010 – गांवों में बुनियादी सुविधाएं
सितंबर, 2010 – गांवों में शिक्षा

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

KH-4/10/1

जागो ग्राहक जागो

भविष्य उज्ज्वल होगा जब चुनाव सही होगा

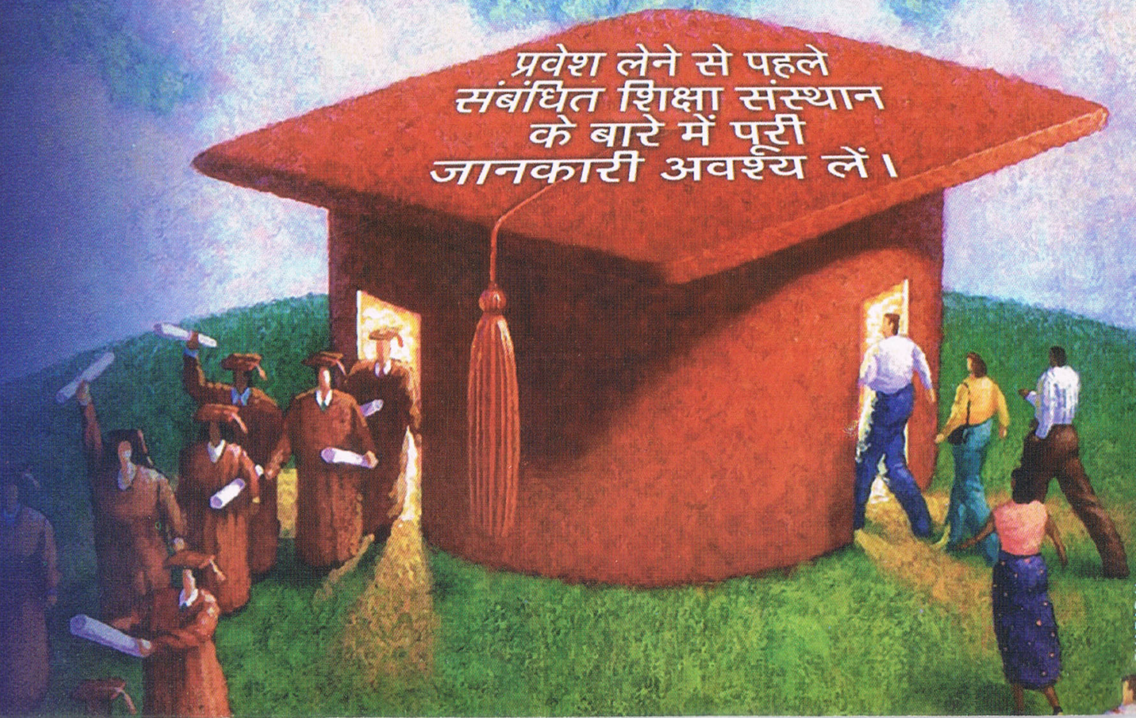

डिग्री/डिप्लोमा अथवा इंस्टीट्यूट की मान्यता संबंधित जानकारी के लिए संपर्क करें

लॉग ऑन करें :–

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (www.education.nic.in)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (www.ugc.ac.in)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (www.aicte.ernetin)
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (www.aiuweb.org)
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ Council (NAAC) (www.naacindia.org)
- भारतीय चिकित्सा परिषद् (www.mciindia.org)
- दूरस्थ शिक्षा परिषद् (www.dec.ac.in)

उपभेक्ता इन नम्बरों पर भी सम्पर्क कर सकते है :
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सं. (1800.11.4000 प्रशुल्क मुक्त)
(बीएसएनएल/एमटीएनएल से)
011–27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू)
(पूर्वाहन 9.30 बजे से अपराहन 5.30 बजे तक – सोमवार से शानिवार।

NATIONAL CONSUMER HELPLINE 1800-11-4000

जनहित में जारी :

सत्यमेव जयते

उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना